नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2020 से 31-3-2022

<u>भाग-एक</u>

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81 फिन (एल0ए0) खण्ड-पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओ का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद नालागढ़ में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

(i) **अध्यक्ष**

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
(1)	श्री धर्मेंदर सिंह राणा	अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 तक	
(2)	श्रीमति रीना शर्मा	फरवरी, 2021 फरवरी, 2021 से मार्च, 2022 तक	

(ii) कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	**नाम**	**पद**	**अवधि**
(1)	श्री ऋषभ शर्मा	कार्यकारी अधिकारी	नवंबर 2019 से अगस्त, 2020 तक
(2)	श्री रणबीर सिंह वर्मा	कार्यकारी अधिकारी	अगस्त, 2020 से मार्च, 2021 तक	
(3)	श्री संजय कुमार	कार्यकारी अधिकारी	मार्च, 2021 से अगस्त, 2021 तक	
(4)	श्री रणबीर सिंह वर्मा	कार्यकारी अधिकारी	अगस्त, 2021 से मार्च, 2022 तक	

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (` लाखों में)
1	भविष्य निधि खाते से आहरित राशि की सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में Debitकी प्रविष्टि दर्ज न करना	4.4 (iv)	0.50
2	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	8 (i)	403.96
3	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पैन्शन निधि को राशि का अनियमित हस्तान्तरण करना	9 (i)	110.00
4	दुकानों के किराए की बकाया वसूली हेतु शेष	10 (i)	297.75
5	माँग एवं प्राप्ति पंजी में विभिन्न त्रुटियों के कारण दुकानों (IDSMT shops को मिलाकर) के किराये के रूप में कम वसूली	10 (iii)	3.11
6	पुराने बस स्टैंड पर स्थित नगर परिषद के स्टाल्स को नीलामी में रिजर्व प्राइस से कम मूल्य पर आबंटन किये जाने के कारण वित्तीय हानि	11 (i)	1.31
7	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	12 (i)	3.54
8	4-9-14 सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत अधिक वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को अनियमित अधिक भुगतान	18 (i)	0.52
9	श्री दिनेश कुमार, पृष्ठ सहायक को दिनांक 01.01.2006 से लागू उच्च वेतनमान के अन्तर्गत अधिक वेतन निर्धारण के कारण अनियमित अधिक भुगतान	18 (ii)	0.54
10	स्टाफ अग्रिमों का लम्बित समायोजन	25	4.98

11	निर्माण कार्य स्थल पर न लाये गये सरिये (Tor Steel 25mm) को माप पुस्तिका में प्रयुक्त दर्शा कर अनियमित संदिग्ध अधिक भुगतान	26 (1)	0.94
12	निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संविदाकार द्वारा एम फार्म प्रस्तुत न करने पर भी नियमानुसार रॉयलटी की कटौती न करने के कारण राजस्व हानि	26 (2 से 17)	2.50

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करे तदानुसार अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों को निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, अवधि 17.09.2022 से 16.11.2022 के दौरान श्री ब्रेजेंदर मोहन पुरी, सहायक नियंत्रक एवं श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर परिषद के नालागढ़ स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2021 व 11/2021 तथा व्यय के लिए 09/20 व 03/2022 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उपलबध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है । अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा|

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के लेखाओं के अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक का अंकेक्षण का शुल्क `68400/- आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा

विभाग, शिमला-171009 के भुगतान करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 17 दिनांक 16.11.2022 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ से अनुरोध कर दिया गया था। अत: अंकेक्षण शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये |

4 वित्तीय स्थिति :-

4.1 मुख्य निधि

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद स्वः स्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2020 से 31.3.2022 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	आरंभिक शेष (`)	आय/प्राप्तियां (`)	कुल योग (`)	व्यय/भुगतान (`)	अंतिम शेष (`)
2020-21	स्वस्त्रोत	9860548.75	13696498.66	23557047.41	15700790.09	7856257.32
	अनुदान	26514283.00	55707567.00	82221850.00	36496897.00	45724953.00
	कुल योग	**36374831.75**	**69404065.66**	**105778897.41**	**52197657.09**	**53581210.32**
2021-22	स्वस्त्रोत	7856257.32	20776370	28632627.32	15511669.42	13120957.90
	अनुदान	45724983.00	50532512.00	96257495.00	55860497.00	40396968.00
	कुल योग	**53581210.32**	**71308882.00**	**124890092.32**	**71372166.42**	**53517925.90**

वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/22 को अन्त शेष = **53517925.90**

[53093380.90+424545 (हस्तगत रोकड़)]

बैंक खातों के अनुसार दिनांक 31/03/22 को शेष जमा = `52287713.90/-

दिनांक 31.3.22 को वित्तीय स्थिति व बैंक खातों के शेष में अन्तर =`1230212

दिनांक 31/03/2022 को बैंक समाधान विवरणी :-

	विवरण	राशि (`)	
वित्तीय स्थिति के विवरण अनुसार दिनांक 31/03/22 को शेष			**53517925.90**
	घटाव (-)		
अंकेक्षण प्रतिवेदन (04/2007 से 03/2010) के अनुसार असमायोजित अंतर		329906/-	**<u>53188019.90</u>** **<u>(A)</u>**
<u>रोकड़ बही में दर्ज विवरण अनुसार दिनांक 31/03/22 को शेष</u>			
जमा (+) (i)	भुगतान हेतु जारी चैक जिनका दिनांक दिनांक 31.03.2022 तक बैंक खातों से भुगतान नहीं हुआ	189441	
(+) (ii)	प्रधानमत्री आवास योजना के अंतर्गत यूको बैंक के खाता संख्या 43134 से रूट की गयी अदायगियों के संबंध में केवल भुगतान की प्रविष्टियों को ही रोकड़ बही में दर्ज किये जाने के कारण अंतर	855000	

(+) (iii)	रोकड़ बही के internal व् external columns दोनों में ही व्यय दर्ज़ किये जाने के कारण अंतर	123981	
(+) (iv)	सितम्बर, 2021 में वापिस की गयी अनुदान की राशि को पुन: दिसम्बर, 2021 में रोकड़ बही में दर्ज़ किये जाने के कारण अंतर	337029	
(+) (v)	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के खाता संख्या 184453 में प्राप्त ब्याज़ की राशि को रोकड़ बही में दर्ज़ न किये जाने के कारण अंतर	1908	
जमा की मद संख्या (i) से (v) तक का कुल योग			1507359 (B)
	योग (A) + (B)		**54695378.90**
घटाव (-)	**बैंक खातों में जमा किए गए आय के चैक जोकि दिनांक 31/03/2022 तक बैंक खातों में क्रेडिट नहीं हुए**		**1983120**
बैंक खातों के अनुसार दिनांक 31.03.22 को शेष जमा (हस्तगत रोकड़ सहित निम्न तालिका (I) के अनुसार)			**52712258.90**

दिनांक 31.3.2022 को अंतिम शेष (बैंक खाते तथा हस्तगत शेष) का विवरण :-

तालिका-1

Bank Balances & Cash in hand as on 31/03/2022 of M.C.Nalagarh			
S .No.	**Bank**	**Account No.**	**Amount (`)**
1	Door to Door	50100326754135	7047
2	IndusInd Bank	100064839270	29184
3	Yes Bank	3294600000301	41328
4	Indian Bank	21698817249	156067.17
5	Indian Bank	50512725026	21475
6	JCCB Bank	101334029000303	4671003
7	HDFC	50200021135770	2141614
8	SBI	65053606629	2306570.28
9	SBI Norad	Not known	5475.36
10	HDFC	50100125645294	12311172.79
11	HDFC	50100299652010	783.30
12	Axis Bank	919010019456816	6028638

13	ICICI Bank	372701000025	23165916
14	ICICI Bank	399	1109255
15	Indian Bank	39018	148263
16	UCO Bank	43134	6
17	SBI Bank	184453	143916
		Total	**`52287713.90**
		Cash in hand	424545
प		**Total**	**`52712258.90**

रिषद द्वारा बैंक खातों में जमा किए गए आय के चैकों का विवरण जोकि दिनांक 31/03/2022 तक बैंक खातों में क्रेडिट नहीं हुए (यह सभी चेक HDFC Bank Account No. 50100125645294 में जमा किया गए थे):-

तालिका-2

Sr. No.	Name of Party	Received on account of	Cheque No.	Date of deposit as per Cheques Deposit Register	Amount (`)
1	Sh. Mustaq Mohammed	Sale of tender Forms	049698	05.05.21	500
2	Sh. Mustaq Mohammed	Sale of tender Forms	049699	05.05.21	500
3	Sh. Irshad Khan	Sale of tender Forms	049700	05.05.21	500
4	Sh. Irshad Khan	Sale of tender Forms	049701	05.05.21	500
5	Sh. Irshad Khan	Sale of tender Forms	049749	05.05.21	500
6	Sh. Irshad Khan	Sale of tender	049703	05.05.21	500

		Forms			
7	Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Luxmi Chand	Rent of Shop No. 127	000208	26.02.2020	50000
8	Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Luxmi Chand(Sh. Arjun Singh)	Rent of Shop No. 126	000210	11.06.2020	50000
9	Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Luxmi Chand (Sh. Arjun Singh)	Rent of Shop No. 126	000209	11.06.2020	50000
10	Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Luxmi Chand	Rent of Shop No. 127	000211	11.06.2020	50000
11	Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Luxmi Chand	Rent of Shop No. 127	000207	04.02.2020	50000
12	Sh. Deep Singh	Bus Parking Fees	234929	10.01.2018	523133
13	Sh. Deep Singh	Bus Parking Fees	234923	12.06.2017	509833
14	Sh. Deep Singh	Bus Parking Fees	234925	10.09.2017	523133
15	Sh. Balbir s/o Sh. Joginder (MDR P-173)	Rent of Bus Stand Stalls	79944	10.04.2018	39430
16	Sh. Ajit Pal s/o Sh. Sunder Jain	Rent of Plot No. 39	650818	10.04.2018	1469
17	Sh. Lakhvir s/o Sh.	Rent of Shop No.	045251	10.04.2018	3458

	Ajab Singh (Lucky Medicos)	306			
18	Sh. Lakhvir s/o Sh. Ajab Singh (Lucky Medicos)	Rent of Shop No. 306	089469	07.06.2021	7259
19	Sh. Budh Ram	Rent of Plot No. 8	51845	16.01.2020	10000
20	Sh. Rajesh Kumar	Rent of Shop No. 127	212	13.07.2020	38745
21	Sh. Lakhvir s/o Sh. Ajab Singh (Lucky Medicos)	Rent of Shop No. 306	089500	03.07.2021	3630
22	Sharma News Agency/ Sh. Narender Sharma	Rent of Shop No. 149	37137	13.07.2020	10800
23	Sh. Devi Dass s/o Sh. Som Nath	Rent of Shop No. 41	71797	02.03.2021	6481
24	Sh. Gurnam Singh s/o Sh. Labhu Ram	Rent of Shop No. 185	64152	02.03.2021	2749
25	Sh. Balwant Singh	Rent of Shop No. 226	100473	28.12.2021	10000
26	Sh. Atish Raj Dev	Rent of Shop No. 159	25483	06.12.2021	40000
				Total	**1983120**

परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक भुगतान हेतु ज़ारी किये गए चेक जोकि बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गए :

तालिका-3

Sr. No.	Name of Bank	Cheque No.	Dated	Amount (`)
1	Allahabad now Indian Bank	938852	23.03.2022	2738
2	Allahabad now Indian Bank	938854	23.03.2022	16284
3	Allahabad now Indian Bank	938863	23.03.2022	145643
4	Allahabad now Indian Bank	938864	23.03.2022	4934
6	Allahabad now Indian Bank	180304	01.08.2021	3500
7	Allahabad now Indian Bank	180310	01.08.2021	262
8	Allahabad now Indian Bank	180317	01.08.2021	5000
9	Allahabad now Indian Bank	180318	23.08.2021	10199
10	Allahabad now Indian Bank	180355	23.08.2021	476
11	Allahabad now Indian Bank	264206	01.12.2021	405
			Total	**`189441**

वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणी संबंधी अनियमितताए :-

(i) नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या दिनांक 5 दिनांक 26.09.2022) के पश्चात भी SBI Norad के बैंक खाते की विवरणी/पास बुक अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इस बैंक खाते के दिनांक 31/03/2022 को दर्शाये गए शेष `5475.36 की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव हो सकी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(ii) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार `19842 के भुगतान हेतु जारी किए गए चैक नियमानुसार कालातीत हो चुके है जिस सन्दर्भ में बैंक से भुगतान की पुष्टि करने के उपरान्त कालातीत चैकों की रोकड़ बही में Reverse प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**बैंक**	**चैक संख्या व दिनाक**	**व्यक्ति/फर्म का नाम**	**राशि (`)**
1.	Allahabad now Indian Bank	180304	01.08.2021	3500
2.	Allahabad now Indian Bank	180310	01.08.2021	262
3.	Allahabad now Indian Bank	180317	01.08.2021	5000
4.	Allahabad now Indian Bank	180318	23.08.2021	10199
5.	Allahabad now Indian Bank	180355	23.08.2021	476
6.	Allahabad now Indian Bank	264206	01.12.2021	405
			कुल योग	**`19842**

(iii) उक्त बैंक समाधान विवरणी के अनुसार जमा पक्ष की प्रविष्टियों (ii), (iii) व (iv) के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) 0.27 लाख के अनादरीत चैक (Bounced Cheque) के विरूद्व प्राप्त राशि की पुनः प्राप्ति पर बैंक समाधान विवरणी के अन्तर्गत समायोजन न कर अनियमित रूप से रोकड बही में पुनः लेखांकित करना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट–3** पर बैंक समाधान विवरणी के क्रम संख्याः 17,18,21,24 व 25 पर वर्णित प्रकरणों में यद्यति परिषद को अनादरीत चैक (Bounced Cheque) चैक के विरूद्व दोबारा राशि प्राप्त हो चुकी थी परन्तु इस पुनः प्राप्त राशि को बैंक समाधान विवरणी की मदों के विरूद्व समायोजित न कर रोकड बही में पुनः प्रविष्टि/लेखांकन किया गया था परिणामस्वरूप बाउस चैक के विरूद्व वास्तविक प्राप्ति के बावजूद भी ये मदें बैंक समाधान विवरणी में असमायोजित पडी है। अतः इस बारे आवश्यक सुधार प्रविष्टि कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाये।

Sr. No. of BRS	Amount involved (`)	Cash Book page where entry recorded on subsequent receipt (`)
17	3458	157
18	7259	65
21	3630	65
24	2749	65
25	10000	60
Total	**27096**	

(v) नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 तक के पैरा संख्या 4 के अन्तर्गत बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक शेष में दर्शाए गए असमाधान अन्तर `3,29,906 का दिनांक 31.03.2022 तक भी समाधान नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है | वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

नोटः– परिशिष्ट "3" पर संलग्ति बैंक समाधान विवरणी के घटाव पक्ष जमा पक्ष की प्रविष्टी संख्या 11, 22 व 26 के सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति दुकान किराये शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई है।

4.2 अंशदाई पेन्शन (Contributory Pension) योजना निधि :-

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंशदाई पेन्शन योजना (Contributory Pension scheme) की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

नगर परिषद, नालागढ़ की अंशदाई पेंशन योजना की अवधि 01.04 2020 से 31.03.2022 की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष	**आरंभिक शेष (`)**	**प्राप्ति (`)**	**कुल योग (`)**	**भुगतान (`)**	**अंतिम शेष (`)**
2020-21	1145228	369550	1514778	0	1514778
2021-22	1514778	1020734	2535512	0	2535512
दिनांक 31/03/22 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्त शेष = `2535512/---(1)					
बैंक खाते (A/c No.101334029100031, JCCBank, Nalagarh) के अनुसार दिनांक 31/03/22 को शेष जमा = `2508331(2)					
दिनांक 31/03/22 को अन्त शेष में अंतर = `27181 ---- (2-1) **बैंक में कम जमा**					
चेक संख्या 136451 जोकि दिनांक 06.07.2020 `27181 को बैंक द्वारा भविष्य निधि के खाते में दिनांक 10.07.2020 को क्रेडिट कर दिया गया | **यह राशि अंकेक्षण के दौरान दिनांक 03.10.2022 को अंशदाई पेंशन योजना के बैंक खाते में जमा करवा दी गयी जिसकी संबंधित अभिलेख से पुष्टि भी कर ली गयी |**					

4.3 पैन्शन व उपदान (Pension & Gratuity) निधि :- नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "4"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार पैन्शन व उपदान (Pension & Gratuity) निधि की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

नगर परिषद, नालागढ़ की पेंशन व् उपदान निधि की अवधि 01.04 2020 से 31.03.2022 की वित्तीय स्थिति					
वित्त वर्ष	**आरंभिक शेष (`)**	**प्राप्ति (`)**	**कुल योग (`)**	**भुगतान (`)**	**अंतिम शेष (`)**
2020-21	1242389	8012188	9254577	5650440	3604137
2021-22	3604137	6990578	10594715	8542842	2051873

दिनांक 31/03/22 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्त शेष = `2051873(1)
बैंक खाते (A/c No.101334001009914,JCCBank, Nalagarh) के अनुसार दिनांक 31/03/22 को शेष जमा = 2051873(2)
दिनांक 31/03/22 को अन्त शेष में अंतर = 'शून्य' ---- (2-1)

4.4 सामान्य भविष्य (General Provident) निधि :-

(i) नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "4"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

नगर परिषद, नालागढ़ की भविष्य निधि की अवधि 01.04 2020 से 31.03.2022 की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष	**आरंभिक शेष (`)**	**प्राप्ति (`)**	**कुल योग (`)**	**भुगतान (`)**	**अंतिम शेष (`)**
2020-21	11676251.84	3182418	14858669.84	2349353	12509316.84
2021-22	12509316.84	2857273	15366589.84	2388074	12978515.84
दिनांक 31/03/22 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्त शेष = `12978515.84(1)					
बैंक खाते (A/c No.101334001005612, JCCBank, Nalagarh) के अनुसार दिनांक 31/03/22 को शेष जमा = `13005696.84(2)					
दिनांक 31/03/22 को अन्त शेष में अंतर = 27181 (2-1) **बैंक में अधिक जमा**					
चैक संख्या 136451 `27181 जोकि दिनांक 06.07.2020 को अंशदाई पेंशन योजना के बैंक खाता में जमा करवाया गया था बैंक द्वारा भविष्य निधि के खाते में दिनांक 10.07.2020 को क्रेडिट कर दिया गया | **यह राशि अंकेक्षण के दौरान दिनांक 03.10.2022 को अंशदाई पेंशन योजना के बैंक खाते में जमा करवा दी गयी जिसकी संबंधित अभिलेख से अंकेक्षण के दौरान पुष्टि भी कर ली गई |**					

(ii) भविष्य निधि एवम एन. पी. एस. खाताधारकों को 9.5% प्रति वर्ष की अत्याधिक दर से ब्याज की अनियमित अदायगी:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा भविष्य निधि एवम N.P.S. खाताधारकों (जिनकी राशि भी इस खाते में ही जमा थी) को अंकेक्षण अवधि के दौरान 9.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अदायगी की जा रही थी जो की न केवल अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 27.09.2022 के संदर्भ में उपलब्ध कारवाई गई सूचना अनुसार जोग्गिंद्र सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा निधि की निवेशित राशि पर 5.5% की दर से अदा किये जा रही ब्याज़ की राशि से अत्यंत अधिक है बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर 7.1% से भी बहुत अधिक है | इस प्रसंग में अंकेक्षण को **परिशिष्ट -5** पर उपलब्ध कारवाई गयी सूचना अनुसार यद्यपि दिनांक 31.03.2022 को समस्त खाताधारकों को 9.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय राशि `1,13,65,321 भविष्य निधि बैंक खाता में जमा राशि `1,28,34,412.84 (Rs. 1,30,05,696.84 in bank account minus Rs. 27181 as per BRS above & Rs. 144103 after adjustments for items in sub para (iii) below) से कम है, परन्तु ऐसी स्थिति निम्न उप पैरा संख्या (iii) व् (iv) जैसे पूर्व प्रसंगों के प्रभाव को ध्यान में न रखे जाने के दृष्टिगत भविष्य निधि के भुगतान {जो कि मूल रूप में नगर परिषद् की मुख्य निधि से ही किये जा रहे हैं} की मुख्य निधि को संम्पूर्ण प्रतिपूर्ति न किये जाने के कारण उत्पन हुई प्रतीत होती है| अत: ऐसी परिस्थिति में या तो इतनी अधिक दर से अदा किये जा रहे ब्याज को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले को नगर परिषद स्तर पर पूर्णता पुनरवलोकन अत्याधिक दर से ब्याज की अदायगी तुरंत प्रभाव से बंद कर इसे बैंक द्वारा दिए जा रहे ब्याज तक ही सीमित रखा जाये तथा समस्त खातों को तदनुसार पुन्रासंधारित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iii) भविष्य निधि खाते में जमा राशि `1.44 लाख की अंतिम अदायगी की नगर परिषद निधि से अदायगी उपरान्त भविष्य निधि से प्रतिपूर्ति न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री हिन्द रवि, सफाई कर्मचारी की सेवानिवृति पर वाउचर संख्या 56 माह 01/2021 द्वारा उनके भविष्य निधि खाते में जमा `1,44,103/- की अंतिम अदायगी नगर परिषद निधि से की गयी थी परन्तु इस राशि की प्रतिपूर्ति भविष्य निधि से नहीं की गयी थी | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 27.09.2022 द्वारा इस संबंध में आपत्ति उपरांत यह राशि अंकेक्षण

के दौरान दिनांक 06.10.2022 को नगर परिषद निधि के HDFC के बैंक खाता संख्या 50100536752241 में जमा करवा दी गयी जिसकी संबंधित अभिलेख से पुष्टि भी कर ली गई |

(iv) भविष्य निधि खाते से आहरित राशि `0.50 लाख की संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में Debit की प्रविष्टि दर्ज न करना: -

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि श्री राजेंद्र कुमार पुत्र श्री प्रेम दास, सफाई कर्मचारी वाउचर संख्या 38 माह 05/2021 द्वारा उनके भविष्य निधि खाते से आहरित राशि `50,000/- की अदायगी कर दी गयी परन्तु इस संबध में उनके भविष्य निधि खाते में कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गयी | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 27.09.2022 द्वारा इस संबंध में आपत्ति उपरांत इस राशि की उनके खाते में पृष्ठ संख्या 78 प्रविष्टि दर्ज कर उनका खाता पुन: संकलित कर दिया गया जिसकी अंकेक्षण के दौरान अभिलेख से पुष्टि भी कर ली गई |

(v) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सामान्य भविष्य निधि की खाताबही न तो संबंधित सहायक द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित की गयी थी जो की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनुपस्थिति को दर्शाता है जिस कारण भविष्य में भी उक्त उप पैरा (iii) व् (iv) प्रसंगों की पुनरावृति से परिषद को वितीय हानि की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: इस संबंध में समुचित कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

4.5 अंशदाई पैन्शन योजना निधि, पैन्शन व उपदान निधि तथा सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा वर्णित निधियों की रोकड़ बहियों का रख रखाव नहीं किया जा रहा है तथा परिषद द्वारा इन निधियों की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई थी जो कि वितीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसके कारण भविष्य में भी उक्त पैरा संख्या 4.4 (iii) व् (iv) प्रसंगों की पुनरावृति से परिषद को वितीय हानि की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: परामर्श दिया जाता है प्रत्येक निधि की रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव किया जाये **जिससे भविष्य निधि के प्रकरणों में नगर परिषद निधि से पहले अदायगी कर फिर प्रतिपूर्ति करने की प्रथा से भी बचा जा सकता है।**

5 सावधि निवे�ा से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानिः—

उक्त पैरा संख्या 4.1 से स्पष्ट है कि `**<u>5,31,88,019.90</u>** (रोकड बही अनुसार) की एक बड़ी राि ा बचत खातों में ही जमा रखी गई थी। इस राि ा में से यदि सामयिक आव यकता की राि ा के अतिरिक्त उपलब्ध राि ा को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवे ा किया जाता तो इस राि ा पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी, परन्तु परिषद द्वारा इसे केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आव यकताओं हेतु समुचित राि ा को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध भोष राि ा को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेि ात करना सुनिि चत किया जाए ताकि नगर परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 रोकड़ बही (सामान्य) के रख रखाव संबंधी अनियमितताये

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद की रोकड़ बही पड़ताल करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) गणना की विभिन्न त्रुटियों के कारण `502 को बैंक खाते में कम जमा करवाना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड बही में कुल योग में गलती के कारण निम्न तालिका (i) में दिये गये विवरणानुसार बैंक में नगर परिषद स्तर पर `555 की राि ा को बैंक खाते में भी कम जमा करवाया गया था।

तालिका –(i)

Month	Cash Book Page	Amount involved (Rs.)	Remarks
06/2020	130	540	Expenditure shown in excess
12/2020	171	4	Income undershown
09/2021	21	1	Income undershown

11/2021	48	10	Income undershown
	Total	**555**	

वहीं दूसरी ओर निम्न तालिका में द ार्ये गये विवरणानुसार निम्न माह में `48 को कम व `101 को अधिक जमा करवाया गया था।

तालिका –(ii)

Less Deposits Rs. 48						
Month		09/2020	10/2020	03/2021	5/2021	6/2021
Amount (Rs.)		9	6	20	10	3
Excess Deposits Rs. 101						
Month	7/2020	10/2020	11/2020	1/2021	2/2021	3/2021
Amount (Rs.)	2	3	1	1	6	7
Month	4/2021	6/2021	7/2021	9/2021	11/2021	12/2021
Amount (Rs.)	1	9	7	42	14	8

इस प्रकार कुल `502 **(555+48-101)** की रा ि नगर परिषद स्तर पर बैंक खाते में कम जमा करवाई गई थी जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 05 दिनाँक 26.09.2022 द्वारा आवश्यक स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त बारे या तो आव यक स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इस रा ि की सम्बन्धित से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) रोकड़ बही का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न होना :-

रोकड़ बही में अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक दर्ज प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है | जोकि हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल लेखा संहिता के विहित निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | ज्ञापन संख्या 5 दिनांक **26.09.2022** द्वारा इस सन्दर्भ में आग्रह भी किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस संबंध में अनुपलना नहीं की गई | अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 नगर परिषद के गत तीन वर्षों की आय-व्यय का विवरण

नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार था :-

वित्तीय वर्ष	**आय (`)**	**व्यय (`)**
2019-20	68467971.00	115313481.00
2020-21	69404065.66	52197657.09
2021-22	71308882.00	71372166.42

8 अनुदान

(i) अनुदानों की `403.96 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "6(i) "** पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31/03/2022 को `**4,03,96,968 लाख** उपयोग हेतु शेष थे तथा परिणामस्वरूप अनुदानों का 100% उपयोग न होने के कारण परिषद क्षेत्र की आम जनता को प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। अंकेक्षण के दौरान भी नगर परिषद से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक वस्तु स्थिति स्पष्ट नही की गई | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए जिन अनुदानों के उपयोग हेतु तय समय अवधि समाप्त हो चुकी है उन अनुदानों का अन्य अनुपयोग अनुदानों सहित उपयोग संबन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निर्धारित उद्देश्य हेतु करना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में अनुदानों से संबन्धित राशियों को निर्धारित समय अवधि के भीतर ही उपयोग किया जाना ताकि जनता को अपेक्षित लाभ समय पर प्राप्त हो सके |

(ii) अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र `779.14 लाख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि से सम्बंधित **`7,79,13,528** अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किए गए जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) अनुदानों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "6 (v)"** पर द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त अनुदान बारे उपलब्ध करवाई गई सूचना के क्रम संख्या 16 पर दर्शायी गयी `1,21,800 की अनुदान राशि को बतौर Unidentified Grant दर्शाया गया है | इस संबंध में बैंक के माध्यम से प्राप्त अनुदान का लिंक ढूंढने के प्रयास किये जाएँ तथा अनुदान राशि को संबंधित शीर्ष में वर्गीकृत कर तथा

तदनुसार अनुदान प्रदता की शर्तों अनुसार व्यय सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iv) अनुदान पंजी के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2021-22 में निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण अनुसार `19,00,000 बतौर अनुदान राशि प्राप्त दर्शाए गए हैं परंतु इस संबंध में रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गयी तथा न ही इस संबंध में कोई बैंक में क्रेडिट की प्रविष्टि भी अंकेक्षण को प्रस्तुत की गयी | परिणामस्वरूप इन अनुदानों का सत्यापन संभव न हो सका |

Sr. No.	Received from	Year	Sanction letter reference as per Grants Register	Head	Grants Register Page Reference	Amount (`)
1.	Director, UD, Shimla	2021-22	UD-H-(F)(2)-3/2019-PMAY-HFA-II-Loose-29576-655 dated 25.11.2021	PMAY	66/11	10,00,000
2.	DC, Solan	2021-22	PLG-SLN(F)5-21-SDP-2021-22-33612 dated 24.11.2021	Sainik Community Hall	66/12	5,00,000
3.	Director, UD, Shimla	2021-22	UD-H-(F)(2)-3/2019-PMAY-HFA-II-Loose-37963-38070 dated Nil	PMAY	67/15	4,00,000
					Total	**`19,00,000**

अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

(v) नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "6 (v)"** द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त अनुदान बारे उपलब्ध करवाई गई सूचना के क्रम संख्या 8 पर दर्शायी गयी `20,00,000 की अनुदान राशि से संबंधित निदेशक, शहरी विकास के स्वीकृति पत्र No. UD-H(F)(10)-Rain Damages-Engg.Cell/2013

दिनांक 06.07.2020 के अवलोकन पर पाया गया कि यह अनुदान की राशि नगर परिषद, नालागढ़ के Allahabad now Indian Bank Account No. 21698817249 में हस्तांतरित दर्शायी गयी है परन्तु यह राशि वास्तव में लगभग एक वर्ष के अन्तराल के उपरान्त परिषद के Axis Bank खाता संख्या 91901 0019456816 में दिनांक 31.07.2021 को प्राप्त हुई | इस संबंध में पूछे जाने पर संबंधित सहायक द्वारा यह बताया गया कि निदेशालय शहरी विकास से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के उपरांत ही उक्त बैंक की दिनांक 31.07.2021 की प्राप्ति प्रविष्टि को बतौर अनुदान अभिलेखित किया गया था परन्तु अनुदान के देरी से तथा अन्य खाते में प्राप्त होने बारे कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संबंध में निदेशक, शहरी विकास से लिखित रूप में पुष्टि कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा कि अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 15.11.2022 द्वारा भी अनुरोध किया था क्योंकि ऐसी स्थिति में अनुदान राशि के दुरूपयोग (in-between misuse) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता |

(vi) निम्न तालिका में दर्शाए गए अनुदानों के संबंध में स्वीकृति पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए तथा परिणामस्वरूप इनका पूर्ण सत्यापन संभव न हो सका | अत: अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए | {यद्यपि क्रम संख्या 1 पर दर्शायी गयी अनुदान राशि वर्ष 2019-20 से संबंधित है परन्तु अकेक्षण द्वारा वर्ष 2020-21 में इस लिये शामिल करने हेतु स्वीकार किया गया है क्योंकि यह राशि जिस Allahabad Bank now Indian Bank Account No. 50512725026 में दिनांक 04.03.2020 को प्राप्त हुई, वह खाता दिनांक 07.02.2020 को खोला गया था तथा दिनांक 31.3.2020 को इस खाते में उक्त अनुदान की राशि ही जमा थी, परन्तु रोकड़ बही में उक्त अनुदान को लेखाबद्ध न किये जाने के कारण इस बैंक खाते की शेष राशि को दिनांक 31.03.2020 को न तो रोकड़ बही में तथा न ही गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बैंक खातों की सूची में शामिल किया गया था।

Sr. No.	Head	Year	Funding agency	Letter	Amount (`)	Bank Account	Received in Bank Account on dated
1	C/O Sainik community hall (MPLAD)	2020-21	DC	Online	500000	50512725026	Allahabad now Indian Bank A/c No. 50512725026 dated 4/3/20 not taken in FY 2019-20. Now taken in Cash Book in 08/2020 (CBP-145)
2	SBM	2020-21	Director	Online	300000	65275522533	SBI Bank dated 08/09/2020

3	ULB Road	2020-21	BBNDA	Online	5000000	372701000399	ICICI Bank Dated 22/02/2021
4	MMSAGY	2021-22	Director UD	Online	238500	919010019456816	Axis Bank dated 15/12/2021
5	MLALAD	2021-22	DC	Online dated 29.03.2022 (GYM)	100000	65053606629	SBI Bank dated 29/3/2022
6	5th FC	2021-22	Director	Online dated 23.03.2022	75300	919010019456816	Axis Bank dated 23/03/2022
7	HFA PMAY	2021-22	Director	Online dated 11.11.2021	565000	12550110043134	UCO Bank 11/11/2021
8	HFA PMAY	2021-22	Director	Online dated 23.03.2022	415000	12550110043134	UCO Bank 23/03/2022
9	HFA PMAY	2021-22	Director	Online dated 23.03.2022	495000	12550110043134	UCO Bank 23/03/2022
10	HFA PMAY	2021-22	Director	Online dated 28.03.2022	1353200	12550110043134	UCO Bank28/03/2022
				Total	**`9042000**		

(vii) अनुदान रजिस्टर / सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव न करना :

नगर परिषद द्वारा सक्षम प्राधिकारी से यथा सत्यापित अनुदान रजिस्टर का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न अनुदानों से संबन्धित सम्पूर्ण विवरण (शीर्ष, शेष, प्राप्ति एवं भुगतान) दर्ज हो ताकि इस आधार पर अनुदान से संबन्धित राशियों के उचित उपयोग का अंकेक्षण सम्भव हो सके | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा अनुदान पंजिका का उचित रख रखाव नहीं किया जा रहा था अर्थात अनुदान पंजिका में अनुदानों के विरुद्ध किए गए व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई थी तथा पंजिका में की गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था| अभिलेख के उचित रख रखाव के अभाव में अनुदानों का पूर्ण अंकेक्षण संभव नही हो पाता है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 15.11.2022 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं अपेक्षित कार्रवाई हेतु नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण को कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

9 नगर परिषद निधि से पैन्शन (Pension) एवं उपदान (Gratuity) निधि को निर्धारित सीमा से `110 लाख का अधिक अनियमित हस्तान्तरण करना एवं अन्य अनियमितायें:

(i) Himachal Pradesh Municipality Employees (Pension, Gratuiry and General Provident Fund) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगर निगम/परिषद/ पंचायत द्वारा कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम का 12% तथा 5% अंश प्रत्येक माह क्रमशः पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये विवरण अनुसार रू 110 लाख परिषद निधि में से पैन्शन निधि को नियमानुसार उक्त निर्धारित सीमा से अधिक हस्तान्तरित किए थे जोकि अनियमित है।

दिनांक	राशि (`)
17.07.2020	20,00,000
20.02.2021	40,00,000
25.06.20	50,00,000
कुल	**`1,10,00,000**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 27.09.2022 द्वारा नगर परिषद, नालागढ़ से औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: इस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा `110 लाख पैन्शन निधि से वापिस नगर परिषद निधि में करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नए वेतनमान लागू होने के उपरांत भी इस निधि को अंशदान गत वेतनमान के अंतर्गत वेतन के आधार पर ही ज़ारी रखा गया है जबकि इस सन्दर्भ में निदेशक, शहरी विकास, शिमला से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर आगामी कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी जैसा कि अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 27.09.2022 अनुरोध किया गया है| अत: अब तदनुसार कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों की जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त निधि को वास्तव में भरे पदों के अतिरिक्त अन्य स्वीकृत परन्तु कुछ अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध भी नगर परिषद निधि से अंशदान हस्तान्तरित किया जा रहा है जैसा कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट है:

Selected Month	No. of employees whose pay has been drawn	Contribution to Pension and Gratuity Fund transferred for -- posts	No. of posts for which contribution drawn in excess

September, 2020	28	52	24
March, 2022	23	52	29

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 12.10.2022 द्वारा नगर परिषद, नालागढ़ से औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: इस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस प्रकार अधिक हस्तांतरित राशि की अपने स्तर पर गणना कर उसे पैन्शन निधि में से वापिस नगर परिषद निधि में जमा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाये |

आय

10 दुकानों का किराया

(i) दुकानों के किराए की बकाया `297.75 लाख की राशि वसूली हेतु शेष :

अंकेक्षण को पत्र संख्या MCNLG/2022-1144 दिनांक 10.11.2022 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2022 तक दुकानों के आबंटियों तथा प्लाट धारकों से निम्न विवरणानुसार `**2,97,75,178** की बकाया किराया राशि वसूली हेतु शेष थी जो की गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 31/03/2020 को दर्शायी गयी बकाया किराया राशि `1,89,01,091 की तुलना में `1,08,74,087 अर्थात 57.53% अधिक है जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है तथा परिषद की लचर कार्यप्रणाली का सूचक है :-

क्र. सं.	शीर्ष	दिनांक 31/03/2020 को वसूली हेतु शेष राशि (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार) (`)	दिनांक 31/03/2022 को वसूली हेतु शेष राशि (`)
1	दुकानों का किराया	12295812	20248698
2	प्लाटों का किराया	483169	616963
3	दुकानों का किराया (IDSMT)	6122110	8909517
	कुल योग	**18901091**	**29775178**

दुकानों के किराये की मॉग एवं प्राप्ति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से था।

Year	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection	Outstanding Balance
Shops					
2020-21	12295812	8781791	21077603	4574214	16503389

2021-22	16503389	9017340	25520729	5272031	20248698
Plots					
2020-21	483169	567042	1050211	400532	649679
2021-22	649679	620566	1270245	653282	616963
IDSMT Shops					
2020-21	6122110	1898464	8020574	503394	7517180
2021-22	7517180	1863182	30380362	470845	8909517

अतः **परिशिष्ट-8 (i)** से **(iii)** सहपठित **परिशिष्ट -7 (i)** से **(vi)** में वर्णित सभी प्रकरणों में वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कारवाई अमल में लाने हेतु मामला उच्च अधिकारीयों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि संस्था की वित्तीय स्थिति में आवश्यक सुधार हो सके |

(ii) मांग एवं प्राप्ति पंजी में विभिन्न त्रुटियों के कारण प्लाटों का किराये के रूप में `0.21 लाख की कम वसूली

अंकेक्षण के दौरान प्लाटों का किराये से संबंधित मांग एवं प्राप्ति पंजी की पड़ताल पर पाया गया कि इस पंजिका में अंतिम शेष तथा आरंभिक शेष को कम दर्शाये जाने तथा प्राप्त राशि को अधिक दर्शाए जाने के फलस्वरूप निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार `21395 की किराया राशि कम वसूली गयी थी जिसके संबंध में आबंटीवार ब्यौरा **परिशिष्ट -7 (i)** से **(iii)** पर दर्शाया गया है :

Sr. No.	Short realization on account of Plot Rent due to	Amount (`)
(i)	Understating of closing balance as on 31.03.2020 which was carried forward to 01.04.2020	1149
(ii)	Understating of current demand during audit period	6845
(iii)	Overstating of collections during audit period	10137
	Total	18131
	Add: GST @18%	3263
	Grand Total	21395

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 17.10.2022 द्वारा नगर परिषद, नालागढ़ से उक्त बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद् द्वारा मांग एवं प्राप्ति पंजी का पुन: संधारण कर **परिशिष्ट -7** पर अंकेक्षण को उपलब्ध कारवाई गयी सूचना अनुसार संबंधित से बकाया राशि को बढ़ा कर दर्शा दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गयी |

(iii) मांग एवं प्राप्ति पंजी में विभिन्न त्रुटियों के कारण दुकानों (IDSMT shops को मिलाकर) के किराये के रूप में `3.11 लाख की कम वसूली :

अंकेक्षण के दौरान दुकानों (IDSMT shops को मिलाकर)_के किराये से संबंधित मांग एवं प्राप्ति पंजी की पड़ताल पर पाया गया कि इस पंजिका में अंतिम शेष तथा आरंभिक शेष को कम दर्शाये जाने तथा प्राप्त राशि को अधिक दर्शाए जाने के फलस्वरूप निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार `310859 की किराया राशि कम वसूली गयी थी जिसके संबंध में आबंटीवार ब्यौरा **परिशिष्ट-7 (iv)** से **(vi**) पर दर्शाया गया है :

Sr. No.	Short realization on account of Shop Rent due to	Amount (`)
(i)	Understating of closing balance as on 31.03.2020 which was carried forward to 01.04.2020	74327
(ii)	Understating of current demand during audit period	80408
(iii)	Overstating of collections during audit period	108705
	Total	263440
	Add: GST@ 18%	47419
	Total amount involved	310859

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 17.10.2022 द्वारा नगर परिषद, नालागढ़ से उक्त बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद् द्वारा मांग एवं प्राप्ति पंजी का पुन: संधारण कर **परिशिष्ट-8 (i)** से **(iii**) पर अंकेक्षण को उपलब्ध कार्रवाई गयी सूचना अनुसार संबंधित से बकाया राशि को निम्न उप पैरा iv में दिए गये प्रकरणों को छोड़कर बढ़ा कर दर्शा दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गयी |

<u>iv</u> अंकेक्षण को **परिशिष्ट–9** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार जिसे **परिशिष्ट–3** पर संलग्न बैंक समाधान विवरणी के साथ पढा जाये द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनाँक 17.10.2022 द्वारा उठाई गई आपति उपरान्त भी दिनाँक 31.03.2022 को दुकानों के किरायेदारों द्वारा दिये गये मूल चैक के अनादरित हाने के उपरान्त भी उनसे देय राशि को मॉग एवं प्राप्ति पंजिका में उचित सुधार कर अर्थात बढ़ा कर दर्शा कर उनसे दिनाँक 31.03.2022 को देय अन्त शेष में अन्य प्रकरणों के तरह अंकेक्षण आपति अनुसार बदलाव नहीं किया गया।

Sr. No.	BRS Sr. No.	Shop No.	Name of Allottee	Amount of rent (`)	GST @ 18% (`)	Total Amount (`)
1	11	1 to 7	Sh. Rajesh Kumar	42373	7627	50000
2	22	149	Sh. Narender Kumar (Sharma News Agency)	9153	1647	10800
3	26	159	Sh. Atish Raj Dev	33898	6102	40000
			Total	**85424**	**15376**	**100800**

अंकेक्षण को आ वस्त किया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 1 व 2 पर द ार्शाई गई दुकानों के सम्बन्ध में इन किरायेदारों से अपेक्षित प्राप्ति के दृष्टिगत इन रा ायों को 2022–23 की प्राप्तियों में भाामिल नहीं किया जायेगा तथा इस प्रसंग में माँग एवं प्राप्ति पंजिका में लाल स्याही से आव यक नोट दे दिया जायेगा। जबकि क्रम संख्या 3 के प्रसंग में आव यक प्राप्ति अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 52/293 दिनॉक 17.10.2022 द्वारा कर ली गई है जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई तथा इस रा ा माँग एवं प्राप्ति पंजिका में वर्ष 2022–23 की प्राप्तियों में न भाामिल किये जाने बारे लाल स्याही का नोट भी दर्ज पाया गया। अतः अब क्रम संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में वसूली हेतु आव यक प्रयास किया जाएँ तथा आ वासन अनुसार उन्हें प्राप्ति के वर्ष में गणना में भाामिल न करके की गयी कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(v) खाली दुकानों को किराए पर आबंटित न करने कारण आय की हानि

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/22 को 18 दुकाने खाली थी जिसमे से 16 दुकानों के संबंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दर्शाया गया है जबकि स्वयं सहायता समूह हेतु आरक्षित 2 दुकानें भी खाली दर्शाई गयी है| खाली दुकानों को किराए पर आबंटित न करने के कारण परिषद कोष को निरंतर आय की हानि हो रही है | अत: 16 दुकानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार की जाने वाली कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जबकि अन्य दो दुकानों को यथाशीघ्र किराए पर आबंटित करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जायें ताकि परिषद कोष को लगातार हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके तथा तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(vi) दुकानों के किराये के अनुबंधों का नवीनीकरण न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यद्यपि तीन वर्ष के अन्तराल पर नियमानुसार दुकानों का किराया तो बढ़ाया जा रहा था परंतु दुकानदारों के साथ बढ़े हुए किराये का उल्लेख करते हुए अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करवाया जा रहा था जोकि अनियमित है जिसके अभाव में परिषद के वित्तीय हित कानूनन (Legally) सदैव असुरक्षित प्रतीत होते हैं | अत: परिषद की कार्यप्रणाली में इस संबंध में आवश्यक सुधार वांछित है तथा बढ़े हुए किराये का तथा दंड ब्याज का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विभिन्न दुकानदारों के साथ अनुबंध का नवीनीकरण नियमित आधार पर करना सुनिश्चित किया जाये तथा तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(vii) मांग एवं प्राप्ति पंजी संबंधित सहायक द्वारा तो हस्ताक्षरित तो की जा रही थी परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जा रही थी जिससे स्पष्ट है कि संबंधित सहायक के कार्य को उच्च स्तर पर जांच नहीं की जा रही थी | अत: इस संबंध में आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा कि अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 17.10.2022 द्वारा भी अनुरोध किया गया था |

11 पुराने बस स्टैंड पर स्थित नगर परिषद के स्टाल्स को नीलामी में रिज़र्व प्राइस से कम मूल्य पर आबंटन किये जाने के कारण `1.31 लाख की हानि एवं अन्य अनियमितायें

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पुराने बस स्टैंड पर स्थित नगर परिषद के स्टाल्स की नीलामी वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 16.03.2020 को की गयी तथा इस नीलामी के दौरान नियमों के विपरीत इन स्टाल्स को निर्धारित रिज़र्व प्राइस से कम मूल्य पर आबंटन कर दिया गया जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गए विवरण से स्पष्ट है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को `1,30,500 की हानि हुई:

Sr. No.	Stall	Reserve Price	Allotment Price	Difference
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1.	Fruit Shop	86500	55000	31500
2.	Tea Canteen	242000	210000	32000
3.	Paan Beedi Shop	150000	120000	30000
4.	Juice Bar	128000	106000	22000
5.	Bakery Stall	51000	36000	15000
			Total Loss	**130500**

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पुराने बस स्टैंड पर स्थित नगर परिषद के स्टाल्स की वर्ष 2021-22 में नीलामी के दौरान **<u>'पान बीड़ी की दुकान'</u>** तथा **<u>'जूस बार'</u>** यद्यपि सुरक्षित मूल्य (**Reserve Price**) से उप्पर की दर पर आबंटित किये गए थे परन्तु इनका आबटन नियमानुसार अपेक्षित तीन बोलियों के स्थान पर केवल एक बोली प्राप्त होने पर ही कर दिया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है तथा ऐसी स्थिति में परिषद् को वित्तीय हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता |

उक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 09.11.2022 द्वारा नगर परिषद् से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए स्टाल्स का निर्धारित रिज़र्व प्राइस से कम मूल्य तथा केवल एक बोली प्राप्त होने पर किय गए आबंटन को न्यायोचित ठहाराया जाये अन्यथा इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाये व तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाये |

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण को पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार निम्न तालिका में दर्शाए गए विवरण अनुसार इन दुकानों के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को `26,886 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसके संबंध में आवश्यक वसूली कर आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये: **-**

Sr. No.	Name of Shop	Name of Contractor	Amount of Contract	Amount Received	Amount outstanding for recovery
			(Rs.)	**(Rs.)**	**(Rs.)**
1.	Fruit Shop	Sh. Dev Raj	68440	51327	17113
2.	Paan Beedi Shop	Sh. Ashok Kumar	142780	133007	9773
				Total	**26886**

12 मोबाइल टावर नवीनीकरण शुल्क

(i) मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क `3.54 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "10"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/03/22 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वार्षिक टावर्स नवीनीकरण शुल्क के रूप में `3,53,750/- वसूली हेतु शेष थे | नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वसूली नहीं की गई थी जोकि एक गंभीर अनियमितता है जबकि वहीं Right to way Policy के वर्ष 2021-22 के प्रभाव में आने के दृष्टिगत अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा परिषद से वर्ष 2021-22 से संबंधित सूचना को पुन: जांचने बारे भी अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया राशि की वसूली, Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh की अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (vi) (b) में विहित निर्देशों के अनुसार दंड ब्याज (penalty) सहित अविलंब सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) मोबाइल कम्पनियों के अतरिक्त anteenas से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव एवं नियमानुसार देय अपेक्षित शुल्क की वसूली न करना

Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh की अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (iv) में विहित अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त antenna, जोकि mobile tower को share करता है, की एवज़ में mobile tower के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के 60% के बराबर अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है | कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा विभिन्न कुल mobile towers एवं अतिरिक्त antennas की संख्या एवं उनके एवज में अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई शुल्क की वसूली के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा न तो इस संदर्भ में आवश्यक अभिलेख का रख रखाव किया गया है तथा न ही कोई वसूली की गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है | अत: इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) मोबाइल टावर नवीनीकरण पंजिका का रख रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी मोबाइल टावर नवीनीकरण पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्णित

पंजिका का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

13 गृह कर

(i) सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित दरों के गृहकर की मांग व वसूली न करने के कारण राजस्व हानि

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानो को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा समय -2 पर जारी निर्देशों के बावजूद भी नगर परिषद गृह कर अधिरोपित नहीं किया गया है | अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता रहा है परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है | यद्यपि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस संबंध में M/s Jaggo Foundation, Palampur के माध्यम से जी. आई. एस. आधारित सर्वे करवाया गया है जिसके लिए चयनित मास मार्च, 2022 के दौरान उक्त फर्म को Vr. No. 20 के माधयम से रु 262500(for survey of Ward No. 3,4 & 5 for 1050 houses @ Rs. 250 each) तथा Vr. No. 69 के माधयम से रु 298750 (for Ward No. 6,7,&8 for 1195 houses @ Rs. 250 each) का भुगतान भी किया गया था| अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 11.11.2022 द्वारा भी गृहकर की वसूली न करने बारे तथा उक्त जी. आई. एस. आधारित सर्वे को पूरा किया जाने बारे सूचना उपलबध करवाने हेतु नगर परिषद से अनुरोध किया गया था तथा **गृहकर को लागू करने बारे** वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः नगर परिषद की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार-बार इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी परिषद परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) नगर परिषद परिक्षेत्र में स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 396 दिनांक 14/11/14 में लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद क्षेत्र में स्थित व्यापारिक सम्पत्ति, व्यवसायिक उपयोग वाले भवनों (निजि अथवा किराये पर) का मूल्यांकन किए जाने तथा उस आधार पर की गई गृह कर से संबन्धित वसूली बारे कई बार

मौखिक आग्रह के पश्चात भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कारवाई गई | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस संदर्भ में आपत्ति उठाई गई थी परंतु इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना नगर परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है जिसके कारण परिषद को राजस्व हानि हो रही है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 4 दिनांक 21.09.2022 द्वारा भी इस संदर्भ में अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद **परिक्षेत्र में** के **होटलों तथा गैस्ट हाउसों की सूचि** का अनुरोध भी किया गया था परंतु परिषद द्वारा कोई भी प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अविलंब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

14 पार्किंग शुल्क

(i) कार पार्किंग व पुराना बस अड्डा में स्थापित बस पार्किंग के सम्बन्ध में `50.92 लाख की राि‍ा वसूली हेतु भोष

अंकेक्षण को यथा परिि ाष्ट–11 (पृ–1 से 4) पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनॉक 31.03.2022 को श्री राके ा कुमार से `150060 तथा मुख्य बस अडा पार्किंग के संविदाकार श्री ईन्द्रजीत सिंह से `4942784 कार पार्किंग की राि ा वसूली हेतु भोष थी। उपबन्ध सूचना के अनुसार कार पार्किंग के ठेके को बारि ा में पानी भर जाने के कारण जुलाई 2021 से रदद कर दिया गया था तथा लम्बित राि ा की वसूली/माफ करने बारे मामला अंतिम निर्णय हेतु मामला नगर परिषद के स्तर पर लम्बित द ार्या गया था वहीं दूसरी ओर मुख्य बस अडा पार्किंग के ठेकेदार से वसूली योग्य राि ा का मामला जिला समाहर्ता सोलन के समक्ष लम्बित बताया गया है। अतः इन प्रसंगों में अंतिम कार्रवाई के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिि चत किया जाये। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी सुझाव दिया जाता है कि कार पार्किंग के मामले में वर्षानुवर्ष इस तरह की स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत की जा रही है जिस सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी रखी जाये क्योंकि ऐसी स्थिति में नगर परिषद को आय की हानि से भी ईन्कार नहीं किया जा सकता है।

15 बिजली एवं मदिरा उपकर

(i) बिजली उपकर

शहरी विकास विभाग हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्याः एलएसएचडी (1)-9/94-खण्ड-II दिनांक 13.12.2000 के अनुसार दिनांक 1.1.2001 से हिमाचल प्रदेश राज्य विधुत बोर्ड

लिमिटेड द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र के अंतर्गत बिजली की कुल खपत का एक पैसा प्रति यूनिट की दर से सम्बन्धित नगर परिषद को बतौर उपकर अदा किया जाना अपेक्षित है | नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद को निम्नानुसार बिजली उपकर की प्राप्ति हुई थी :-

वित्तीय वर्ष	**बिजली उपकर की प्राप्त राशि (`)**	**अभियुक्ति**
2020-21	258000	CBP-145 (08/2020)
2021-22	231212	अप्रैल, 2022 में प्राप्त हो गया था तथा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 79 पर प्रविष्ट किया गया था)

(ii) मदिरा उपकर

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान राज्य कर एवम आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश से नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये प्रति बोतल की दर से निम्नानुसार मदिरा उपकर की प्राप्ति हुई थी :-

वित्तीय वर्ष	मदिरा शुल्क की प्राप्त राशि (`)	**अभ्युक्ति**
2020-21	10,40,422	इस राशि में गत वर्ष 2018–19 व 2019–20 से सम्बन्धित राशि भी सम्मिलित है।
2021-22	377390	

(iii) बिजली व मदिरा उपकर की मांग एवं प्राप्ति के अभिलेख का उचित रख-रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा वर्णित अभिलेख का रख रखाव किया ही नहीं जा रहा है जिसके अभाव में उपरोक्त प्राप्त शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

16 IHSDP (Integrated Housing and Slum Development Programme) के अंतर्गत निर्मित 73 घरों का आबंटन न करना

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "12"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार IHSDP योजना के अंतर्गत 128 घरों का निर्माण दिनांक 14/06/2016 को पूर्ण किया जा चुका था परन्तु उसमें से दिनांक 31/03/2022 अर्थात लगभग 6 वर्ष के अन्तराल के उपरांत भी 73 घरों का आबंटन सम्बन्धित लाभार्थियों को लंबित था | यह प्रकरण त्रुटिपूर्ण नियोजन को परिलक्षित करता है जिसके फलस्वरूप इनके निर्माण पर आई लागत निष्फल व्यय की श्रेणी में आता है | नगर परिषद से उक्त घरों के निर्माण पर किये गए व्यय बारे तथा इनका आबंटन न किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई औचित्य/प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: यह प्रकरण पूर्ण छानबीन पशचात नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है |

17 अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 21.09.2022 तथा 10 दिनांक 19.10.2022 द्वारा आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा गौशाला से, विज्ञापन(**hoardings)** से, विश्राम गृह व् रेन बसेरा से, घर घर से कूड़ा उठाने की योजना के अंतर्गत तथा **Solid Waste Management Plant** से प्राप्त आय बारे संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इन शीर्षों से आय का अपेक्षित अंकेक्षण संभव नहीं हो सका। अतः उपरोक्त वर्णित समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख का उचित रख रखाव व अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

18 स्थापना सम्बन्धी अनियमितताएं :

(i) 4-9-14 सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अंतर्गत अधिक वेतन निर्धारण के कारण अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक रू 0.52 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 (क) (i),(ii),(iii) व**,**(ख) के द्वारा श्री अरुण कुमार, चौकीदार, श्री अछर कुमार, बेलदार तथा श्री राजेन्द्र कुमार, सफाई कर्मचारी को 4-9-14 सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (**4-9-14 Assured Career Progression Scheme)** के अन्तर्गत दिए लाभ के प्रसंगों में वेतन निर्धारण **Finance (Pay Revision) Department** के पत्र संख्या **No. Fin(PR)-B(7)-59/2010-loose, dated 3th November, 2016** द्वारा ज़ारी स्पष्टीकरण के अनुरूप न कर अनियमित लाभ प्रदान करने बारे

अंकेक्षण द्वारा आपतियों उठाये जाने के पश्चात् भी उन्हें वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान भी अनियमित भुगतान यथावत ज़ारी था | यहाँ तक की दिनांक 01.01.2016 से लागू नए वेतनमान के अंतर्गत उच्च वेतनमान का लाभ भी अनियमित रूप से अधिक वेतन स्तर पर निर्धारित कर दिया गया था जिसकी अदायगी उन्हें मास फरवरी, 2022 के वेतन देय मास मार्च, 2022 से लगातार की जा रही थी | अकेक्षण के अनुसार उन्हें देय वेतन का निर्धारण तथा परिषद् द्वारा अदा किये वेतन का विवरण **परिशिष्ट -13**(i) (iii) (v)अनुसार है तथा **परिशिष्ट**-**13(ii) (iv) (vi)** पर दी गयी विस्तृत गणना अनुसार उन्हें अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार अधिक वेतन अदा किया गया था **(**इसमें दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2022 की अवधि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस दौरान उन्हें नए वेतनमान के अंतर्गत उच्च वेतन देय है तथा अनियमित अधिक भुगतान का समायोजन बकाया वेतन के विरुद्ध संभव है) **:**

Sr. No.	**Name & Designation**	**Amount overpaid upto March, 2022 now recoverable (Rs.)**		**Remarks about irregularity in brief**
1.	Sh. Arun Kumar, Chowkidar	Upto 31.12.15	36740	The official who had joined on 11.02.2004(though as per service book his service has been counted w.e.f. 01.03.2004 under ACPS) had been irregularly granted 9th year benefit under 4-9-14 ACPS w.e.f. 01/03/2013 despite grant of higher Grade Pay of Rs. 1650 to him on on re-revision of scales w.e.f. 1/10/2012 i.e. prior to completion of 9 years service. As per above referred FD instructions the 9th year benefit had to be subsumed theregainst and was, therefore, not admissible.
		For February, 2022 paid in March, 22	2358	
		Total	39098	
2.	Sh. Achar Kumar, Sweeper	Upto 31.12.15	8337	The official who had joined on 01.08.2010 had been irregularly granted 4th year benefit under 4-9-14 ACPS w.e.f. 01.08.2014 despite grant of higher Grade Pay of Rs. 1650 to him on on re-revision of scales w.e.f.
		For February, 2022 paid in March,	917	

		22		1/10/2012 i.e. prior to completion of 4 years service. As per above referred FD instructions the 4th year benefit had to be subsumed theregainst and, therefore, was not admissible.
		Total	9254	
3.	Sh. Rajender Kumar, Sweeper	Upto 31.12.15	800	The official who had joined on 01.01.2007 had been irregularly granted 9th year benefit under 4-9-14 ACPS w.e.f. 01/01/2016 despite grant of higher Grade Pay of Rs. 1650 to him on on re-revision of scales w.e.f. 1/10/2012 i.e. prior to completion of 9 years service. As per above referred FD instructions the 9th year benefit had to be subsumed theregainst and, therefore, was not admissible.
		For February, 2022 paid in March, 22	3013	
		Total	3813	
GrandTotal			**52165**	

उक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 12.10.2022 तथा ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लायी गयी थी जिसके उत्तर में परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त कर्मियों का वेतन अंकेक्षण आपत्ति अनुसार मास अक्टूबर, 2022 देय मास नवंबर, 2022 से कम कर दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान मास नवंबर, 2022 के वाउचर संख्या 1 व् 4 से कर ली गयी | अत: अब उक्त कर्मियों को किये गए अनियमित भुगतान की संस्था के स्तर पर अद्यतन गणना कर आवश्यक वसूली उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ सहायक को दिनांक 01.01.2006 से लागू उच्च वेतनमान के अंतर्गत अधिक वेतन निर्धारण के कारण अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक `0.54 लाख का अनियमित अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान अगले दो वर्ष के अन्तराल पर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के सेवा अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ सहायक जो कि अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने के उपरांत दिनांक **31.07.2023** को सेवानिवृत होने वाले हैं को दिनांक 01.01.2006 से गलत वेतन निर्धारण के कारण अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जा रहा था जैसा कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट है| इसके दृष्टिगत दिनांक 01.01.2016 से लागू नए वेतनमान के

अंतर्गत उच्च वेतनमान का लाभ भी उन्हें अनियमित रूप से अधिक वेतन स्तर पर निर्धारित कर दे दिया गया जिसकी अदायगी उन्हें मास फरवरी, 2022 के वेतन देय मास मार्च, 2022 से लगातार की जा रही थी | अकेक्षण के अनुसार उन्हें देय वेतन निर्धारण तथा परिषद् द्वारा अदा किये वेतन का विवरण **परिशिष्ट-14**(i) अनुसार है तथा **परिशिष्ट-14**(ii) पर दी गयी विस्तृत गणना अनुसार उन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार अधिक वेतन अदा किया गया था **(**इसमें दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2022 की अवधि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस दौरान उन्हें नए वेतनमान के अंतर्गत उच्च वेतन देय है तथा अनियमित अधिक भुगतान का समायोजन बकाया वेतन के विरुद्ध संभव है) **:**

Sr. No.	**Name & Designation**	**Amount overpaid upto March, 2022 now recoverable (Rs.)**		**Remarks about irregularity in brief**
1.	Sh. Dinesh Kumar Sharma, Senior Assistant	Upto 31.12.15	51632	Pay of Shri Dinesh Kumar Sharma, Senior Assistant had been fixed on higher side on revision of pay scale w.e.f. 01.01.2006 after grant of 16^{th} year benefit in his favour under 8-16-24-32 Assured Career Progression Scheme w.e.f. 09.03.2005. His pay as on 31.12.2005 was at Rs. 5480 and was required to be fixed at Rs.10200+1950=12150 in the Pay Band of Rs. 5910-20200+ 1950 GP but instead fixed at Rs. 10500+ 1950=12450 and, thus, he has been drawing pay on the higher side since. As a result his pay under the new scales effective from 01.01.2016, after annual increments etc. on 01.03.2022 has been fixed at Rs. 63900 while as per audit version it has to be Rs. 62000 as per pay due worked out since 01.01.2006 as per Annexure-14(i) .
		For February, 2022 paid in March, 22	2358	
		Total	**53990**	

उक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 12.10.2022 तथा ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: अब इस प्रसंग में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए या तो उक्त अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये

अन्यथा संस्था के स्तर पर अद्यतन गणना कर संबंधित से आवश्यक वसूली उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

19 स्थापना से संबंधित अन्य अनियमितताएं:

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते में Finance (Regulations) Department के Office Memorandum No. Fin(C)B(7)-1/2102 dated 28.02.2012 अनुसार देय तिथि को आवश्यक वृद्धि नहीं प्रदान की जा रही थी जिससे उन्हें मकान किराया भत्ते का अनियमित रूप से कम भुगतान किया जा रहा था |

(ii) श्री ललित कटोच, कनिष्ठ अभियंता जो की अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद, नालागढ़ में तैनात थे की सेवा पंजिका अंकेक्षण को प्रस्तुत न किया जाने के कारण उनको देय वेतन की जाँच तथा उन्हें चयनित मास 09/2020 के दौरान अदा किये गए वेतन व् भत्तों का सत्यापन संभव न हो सका |

(iii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वेतन पंजिका न तो संबंधित सहायक द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा न ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित की गयी थी |

उक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 12.10.2022 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लायी गयी थी जिसके संबंध में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था| अत: इस संबंध में आवश्यक अभिलेख एवं अनुपालना सुनिश्चित कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जायें|

20 पेंशनर्स को अनियमित रूप से किये जा रहे कम भुगतान:

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने पेंशनर्स को या तो सरकार के Finance (Pension) Department द्वारा ज़ारी Office Memorandum No. Fin(Pen)A(3)-1/09 dated 23.04.2014 के अनुसार 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देय पेंशन भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा था अथवा इस पेंशन भत्ते को देय तिथि से बढाया ही नहीं जा रहा था जिस कारण परिषद के पेंशनर्स को देय भुगतान से कम भुगतान किया गया था जैसा कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट है :-

Sr. No.	Name of Pensioner/ Family Pensioner	Date of Birth as per PPO	Age as on 31.03.22	Pension Allowance due @	Pension allowance being paid @
1	Smt. Kesar Devi	23.11.1953	68+	5%	Nil
2.	Sh. Purshottam	08.02.1957	65+	5%	Nil
3.	Sh. Nand Lal, Peon	20.12.1946	75+	15%	5%

(ii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने परिवारकी पेंशनर्स की परिवारिक पेंशन से भी उनके दिवंगत पति द्वारा ली गयी commutted वैल्यू ऑफ़ पेंशन की वसूली पूर्व अनुसार ही ज़ारी की जा रही थी जो कि CCS (Commutaion of Pension) Rules, 1981 के नियम 6 के प्रावधान की अवेहलना है तथा इस कारण परिषद के परिवारिक पेंशनर्स को अनियमित रूप से कम भुगतान किया गया था जैसा कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट है :

Sr. No.	**Voucher No. & Month**	**Name of Family Pensioner**	**Commuted portion being reduced @ (Rs.)**
1.	Vr.18 of 9/20 &. Vr. No. 16 of 3/22	Smt. Ramesh Bassi w/o Late Sh. Deepak Chand	2957
2.	Vr. 18 of 9/20 & Vr. No. 16 of 3/22	Smt Raj Rani w/o Late Sh. Hem Raj	2994 **
**Note: This may be read with Para No. 25 of this report related to outstanding advances to employees .			

(iii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने पेंशनर्स की पेंशन से commutted वैल्यू ऑफ़ पेंशन की वसूली 15 वर्ष की अवधि के उपरांत भी इस संबंध में CCS (Commutaion of Pension) Rules, 1981 के नियम 10 में निहित प्रावधन के विरुद्ध ज़ारी राखी गयी थी जैसा कि श्री नन्द लाल, सेवादार (DOB-20.12.1946) जो कि दिनांक 31.12.2006 को सेवानिवृत हुए के प्रसंग में पाया गया क्योंकि 31.12.2021 को 15 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त भी उनकी पेंशन से commutted वैल्यू ऑफ़ पेंशन की वसूली `1124 प्रति मास की दर से यथावत ज़ारी थी जैसा की मास मार्च, 2022 के वाउचर संख्या 16 के अवलोकन पर पाया गया |. इस प्रकार परिषद द्वारा उन्हें अनियमित रूप से कम भुगतान किया गया था|

(iv) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि Pension ECR न तो संबंधित सहायक द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा न ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित की गयी थी |

उक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 10.10.2022 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लायी गयी थी जिसके संबंध में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था| अत: इस संबंध में आवश्यक अनुपालना सुनिश्चित कर अन्केक्षण की अवगत करवाया जाये |

21 टैक्सी प्रोवाइडर को सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर की गयी अदायगी के कारण `7000/ 3500 प्रति मास की दर से अधिक अनियमित भुगतान :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मास मार्च, 2022 के वाउचर संख्या 24 (Cash Book Page 71) के माध्यम से श्री प्रेम लाल, टैक्सी प्रोवाइडर को गाड़ी माडल Maruti Swift Desire नंबर No. 0222 PB 5127 (अस्थायी नंबर) को मास फरवरी, 2022 में नगर परिषद को बतौर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु `35500 की अदायगी की गयी (यह टैक्सी नगर परिषद द्वारा मास फरवरी, 2022 से ही किराये पर ली गयी थी) जबकि उपायुक्त, सोलन द्वारा अधिसूचना संख्या No. SLN/NZR/8-80/2000 dated 30.03.2017 द्वारा Maruti Swift Desire Desire हेतु केवल `28500 प्रतिमास की राशि निर्धारित की गयी थी जिसे अधिसूचना संख्या No.SLN/NZR/8-80/2000-39065 dated 07.03.2022 द्वारा `32000 प्रतिमास कर दिया गया | परिणामस्वरूप उक्त टैक्सी प्रोवाइडर को अंकेक्षण अवधि के दौरान `7000 की अनियमित अधिक अदायगी कर दी गयी तथा 7 मार्च 2022 से (मार्च मास की अदायगी अप्रैल, 2022 में की गयी) यह अनियमित अधिक अदायगी रू 3500 की दर से अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक ज़ारी थी | उपरोक्त के अतिरिक्त टैक्सी किराये पर लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति, श्री प्रेम लाल, टैक्सी प्रोवाइडर के साथ किया गए अनुबंध की प्रति, गाड़ी की लॉग बुक भी अंकेक्षण को प्रस्तुत की गयी जिसके फलस्वरूप उक्त भुगतान का सत्यापन भी संभव न हो सका जबकि इस संबंध में तथा उक्त अधिक भुगतान के स्पष्टीकरण बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 11.11.2022 द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया था | यहाँ तक की आगामी मासों में की गयी अदायगी के वाउचर से भी गाड़ी का स्थायी नम्बर भी सत्यापित न हो सका | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये जबकि श्री प्रेम लाल, टैक्सी प्रोवाइडर को की गयी अधिक अदायगी की अपने स्तर पर अद्यतन गणना कर वसूली की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 श्री मदन लाल, चालक की सेवाओं का समुचित उपयोग न किया जाना :

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध कारवाई गयी सूचना अनुसार नगर परिषद् में चालक का एक पद स्वीकृत था जिसके विरुद्ध श्री मदन लाल, चालक की तैनाती की गयी थी तथा परिषद् के पास केवल एक वाहन **Mahindra Jeeto No. HP-12 J-9057** था | परन्तु इस वाहन की **Log Book** के परिक्षण पर पाया गया कि **Log Book** में पृष्ठ 43 दिनांक 08.11.2020 मीटर रीडिंग 26630 कि. मी. तक उचित प्रकार से प्रविष्टियाँ दर्ज़ थी जो कि नियमित रूप से श्री मदन लाल, चालक से पूर्व तैनात चालक द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा उसमें डीजल की प्रविष्टियाँ भी दर्ज़ थी | वहीँ दिनांक 09.11.2020 से 31.07.2021 पृष्ठ संख्या 59 मीटर रीडिंग **28548** कि. मी. तक **Log Book** में वाहन चलने की प्रविष्टियाँ तो दर्ज़ थी परन्तु न तो चालक द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा न ही इस अवधि में **Log Book** में डीजल की भी कोई प्रविष्टियाँ दर्ज़ थी| अत: प्रतीत होता है कि नगर परिषद् द्वारा श्री मदन लाल की सेवाएं बतौर चालक प्रयोग में नहीं लायी जा रही थी जिससे उनको बतौर चालक अदा किया जा रहा वेतन का भुगतान जिसमे चालक के पद के विशेष भत्ते भी शामिल हैं निष्फल प्रतीत होता है | इस संबंध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 07.11.2022 द्वारा नगर परिषद् से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु तथा उक्त वाहन कौन चला रहा है बारे सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए या तो परिषद में श्री मदन लाल, चालक तथा उनको अदा किए जा रहे वेतन एवं भत्तों के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में मामला निदेशक, शहरी विकास से उठा कर आवश्यक कारवाई अमल में लायी जाये तथा तदनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

23 विज्ञापन पर किये गए `57529/- के व्यय के संदर्भ में DAVP दरें प्रस्तुत न करना:

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचर की जाँच पर पाया गया कि परिषद द्वारा **परिशिष्ट-15** में दिए गए विवरण अनुसार विभिन्न विज्ञापनों पर **`57,529**/ का व्यय_किया गया था परन्तु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 09.11.2022 द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी इनके संबंध में आवश्यक हिमाचल प्रदेश सूचना एवम लोक संपर्क विभाग द्वारा ज़ारी **DAVP** दरें अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कारवाई गयी | परिणामस्वरूप उक्त व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका | अत: उक्त व्यय के संबंध में हिमाचल प्रदेश सूचना एवम लोक संपर्क विभाग द्वारा ज़ारी **DAVP** दरें आगामी अन्केक्षण को उपलब्ध करवाते हुए इस व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये|

24 `27,497/ - की खरीददारी बिना निविदाओं (quotations) के करना

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचर की जाँच पर पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार `**27,497**/ - की खरीददारी बिना निविदाओं (**quotations**) के की गयी थी जो कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, **2009** के नियम **98** की अवेहना है | इस संबंध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 09.11.2022 द्वारा नगर परिषद् से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर उक्त व्यय के नियमतिकरण की कारवाई अमल में लायी जाये व तदनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाये :

Sr. No.	Voucher No.	Month of Payment	Bill No. with date	Name of supplier	Amount (Rs.)	Articles purchased in brief
1	22	9/2020	1027 dt. 29.08.2020	M/s SS Computers, New Nalagarh	4720	Tonner refilling, 2GB RAM
2	23	9/2020	SA/2021/1060 dt. 24/07/2020	M/s Sai Aqua Machine & Builders, Saproon, Solan	6844	Hose Pipe
3	25	9/2020	499 dt 03.09.2020	M/s Chandel Electrical Engg. Works, Nalagarh	3068	Ceiling Fan
			1252 dt 15.01.2020	M/s Chandel Electrical Engg. Works, Nalagarh	4531	Electrical Fitting material
4	26	9/2020	SS-20-21-1316 dt. 09.08.2020	M/s Shiva Sales, Nalagarh	3400	Glyfas
5	72	3/2022	29 dt. 24.03.2022	M/s Dasmesh Welding Works, New Nalagarh	4934	MS Railing Strips with fitting and repair of Gate of Park at Ward No. 7
				Total	**27497**	

25

`4,97,663 की राशि के स्टाफ अग्रिमों का लंबित समायोजन

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "16"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2022 को `589823/- स्टाफ अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु शेष दर्शाए गए थे जिसकी सारांश स्थिति निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार है :

Sr. No.	Name & Designation of employee	Advances drawn between-- to---	Amount involved (Rs.)
1	Sh. Hem Raj, Sanitary Inspector **(Expired in December, 2017)**	21.12.1999 to 05.11.2009	92160
2	Sh. Baljeet Singh,	06.03.2000	257200

	Works Supervisor (Retiring on 31.12.2022 as per other information supplied to audit)	to 20.07.2016	
3	Sh. Sanjay Awasthi, Junior Engineer (Terminated)	08.05.2000 to 10.10.2006	240463

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह राशि असमायोजित ही दर्शाई गई थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 19.10.2022 द्वारा इस बारे औचित्य स्पष्ट किये जाने बारे पूछे जाने पर तथा वहीं ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 10.10.2022 द्वारा पेंशनर तथा परिवारिक पेंशनर को किये जा रहे कम भुगतान बारे अंकेक्षण आपत्ति उठाये जाने पर उक्त तालिका के क्रम संख्या 1 पर दर्शाये गए स्वर्गीय श्री हेम राज के विरुद्ध `92160 के अग्रिम राशि की ब्याज `78473 सहित अर्थात `170633 की वसूली उनकी पत्नी श्रीमति राज रानी की परिवारिक पेंशन से मास 01/2018 से मास 09/2022 तक (57 मास) `2994 प्रति मास की दर से अनियमित रूप से की गयी कुल कटौती `170658 (`2994 * 57) के विरुद्ध समायोजन कर ली गयी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गयी| परन्तु इस प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि परिषद् द्वारा स्वर्गीय श्री हेम राज, सफाई निरीक्षक के देहांत पर उनके परिवार के पक्ष में आवश्यक सेवालाभ ज़ारी करने से पूर्व "No Dues Certificate" में उक्त अग्रिम की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया था अन्यथा वसूली की यह प्रक्रिया तब ही सेवालाभ के विरुद्ध समायोजन से पूर्ण की जा सकती थी | अत: भविष्य में इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है |

अन्य दो प्रसंगों में सम्मिलित अग्रिम राशि अर्थात रू 4,97,663 {257200+240463} की भी ब्याज सहित वसूली वांछित है जिस हेतु यथाशीघ्र आवश्यक प्रयास परिषद के स्तर पर अन्यथा कलेक्टर वसूली के माध्यम से किये जायें तथा आवश्यक वसूली उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

26 निर्माण कार्यः मुख्य निर्माण कार्य

1	**Name of Work**	**C/O Sainik Community hall in Ward No. 1, Nalagarh**
	Name of contractor	Sh. Hardeep singh bedi
	Award letter No. / MB No	MC/NLG(M.Works)/2021-460 Dated 8/04/2021/ MB No. 92 Page 72-82
	Awarded Amount	Rs. 17,71,873
	Time Allowed	Six month – DOS – 20/04/2021 DOC – 29/06/2021

इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

(i) माप पुस्तिका के अनुसार इस कार्य हेतु माप पुस्तिका 92 के पृष्ठ संख्या 73 एवं 76 पर दर्ज प्रविष्टी अनुसार इस कार्य हेतु संविदाकार द्वारा क्रम ाः 331.10 कि0ग्रा0 तथा 970.20 कि0ग्रा0 अर्थात कुल 1301.30 कि0ग्रा0 25 एमएम का टॉर स्टील प्रयोग में लाया गया था। परन्तु **परिशिष्ट–18** पर द ाये गये विवरणानुसार जिसमें संविदकार द्वारा खरीदे गये सरीये का विवरण दर्ज है के अनुसार इस मोटाई का सरीया ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाया ही नहीं गया था। इससे प्रतीत होता है कि कनिष्ट अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियॉ जोकि सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक की गई थी पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस प्रकार संविदाकार को `72/ कि0ग्रा0 की दर से `93694 (25mm Tor Steel 1301.30kg @ `72 per kg) का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

(ii) उक्त के अतिरिक्त परिशिष्ट– के क्रम संख्या 9 व 10 पर वर्णित बिलों से यह भी स्पष्ट है कि 1257.40 कि0ग्रा0 का Tor Steel माह जुलाई 2021 (Steel 1057.20 kg on dt. 03-07-2021 and 200.20 kg on dated 10-07-2021) में खरीदा गया था जबकि माप पुस्तिका 92 के पृष्ट संख्या 80 पर दर्ज प्रविष्टी अनुसार यह कार्य दिनॉक 29.06.2021 को ही समाप्त हो चुका था जिससे यह सं ाय होता है कि इस निर्माण हेतु प्रयोग में लाया गया सरिया कार्य स्थल पर जाकर न तो कनिष्ठ अभियन्ता और न ही सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया गया था। इस प्रकार `72/ कि0ग्रा0 की दर से `90533 (Tor Steel 1257.40kg @ `72 per kg) का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

(iii) इस निर्माण कार्य में निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार गणना की त्रुटि के कारण संविदाकार को `20812.05 का अनियमित अधिक भुगतान भी किया गया था।

Item Name	MB No. - 92 Page Reference	Actual Quantity	Quantity as per MB	Difference	Rate (Rs.)	Amount overpaid (Rs.)
Providing tor steel reinforcement for RCC work	**73**	**3419.05 kg**	**3428.93 kg**	**9.88 kg**	**72**	**711.36**
1st class Brick Work in cement mortar (1:6)	**75**	**9.41cum**	**13.58 cum**	**4.17 cum**	**4597**	**19169.49**
Providing form work with steel plates 3.15mm thick (1) in foundation and plinth	76	**202.83 cum**	**212.43 cum**	**9.6 cum**	**97**	**931.2**
प					**Total overpayment involved**	**20812.05**

(iv) इस कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति यद्यपि `4317453.00 के लिये प्रदान की गई थी परन्तु निविदाएं केवल `1585658 के कार्य हेतु ही आमंत्रित की गई थी जिस बारे अंकेक्षण को कोई भी यथोचित अभिलेख/कारण स्पष्ट नहीं किया गया था।

(v) माप पुस्तिका में संविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु बिजली एवं जल का प्रबन्ध अपने स्तर पर किया गया था के बारे कोई भी प्रमाणन नहीं किया गया था तथा न ही इस सन्दर्भ में निविदाकार को देय रा I में से आव यक कटौतियॉ की गई थी।

(vi) खनन सामग्री, टॉर स्टील तथा सीमेंट की खरीद के सम्बन्ध में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल तथा खनन विभाग द्वारा जारी एम फॉर्म भी कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर सत्यापित नहीं पाये गये।

(vii) उक्त के अतिरिक्त संविदाकार द्वारा इस निर्माण कार्य हेतु खरीदे गये सीमेंट के उपयोग के सम्बन्ध में **परिशिष्ट–18** पर दिये गये विवरणानुसार यह पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार इस कार्य हेतु 1156.05 सीमेंट बैग (Theoretical Consumption) प्रयोग में लाये जाने वॉछित थे परन्तु कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात 20.04.2021 तथा कार्य के समाप्त होने के तिथि अर्थात 29.06.2021 के दौरान केवल 340 सीमेंट बैग ही संविदाकार द्वारा खरीदे गये थे जबकि 245 सीमेंट बैग कार्य प्रारम्भ होने से लगभग 9 माह पूर्व ही खरीद लिये गये थे वहीं दूसरी ओर 510 सीमेंट बैग कार्य समाप्त होने के प चात् माह जुलाई 2021 में खरीदे गये थे वहीं दूसरी ओर इस कार्य हेतु कार्यस्थल पर लाये गये सीमेंट की कुल मात्रा अर्थात 1095 बैग कुल अपेक्षित खपत अर्थात 1156 की अपेक्षा कम थी जोकि इस कार्य की प्रमात्रा व गुणवता भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

Theoretical Consumption of Cement

	Quantity		Factor	Qty in bags
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	17.31	m3	2.2	38.08
Brickwork 1:6	9.41	m3	1.2	11.29
P/L CC 1:3:6 with 20mm aggregate	2.33	m3	4.4	10.25
P/L CC 1:1.5:3 with20mm aggregate	137.11	m3	8	1096.88
Total theoretical consumption of Cement				1156.50

उक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 11 दिनॉक 05.11.2022 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा आव यक जाँच उपरान्त इस सम्बन्ध में निमयानुसार सम्बन्धित के विरूद्व

कार्यवाही करते हुये वर्णित रा‍ि ा की वसूली सुनि‍ि चत कर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

2	**Name of Work**	**C/O Providing & Fixing RCC Channels & fixing CC tiles to path from h/o Sh. Amar Nath to h/o Sh. Jaspal, Ward No. 3, Nalagarh**
	Name of contractor	Sh. Baljinder Singh
	Award letter No. / MB No	MC/NLG(M.Works)/20220-822-27 Dated 16.07.2020 MB No. 92 Page 12-20
	Awarded Amount	Rs. 10,55,679
	Time Allowed	Three months– DOS – 15.09.2020 DOC – 21.12.2020
	Estimate	Rs. 942000 approved by AE

(i) यह निर्माण कार्य केवल दो निविदाओं की प्राप्ति पर ही आबंटित कर दिया गया जोकि अनियमित प्रतीत होता है।

(ii) इस निर्माण कार्य के आबंटन पत्र की भार्त संख्याः 17 के अनुसार आबंटन पत्र के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में धरोहर रा‍ि ा जब्त किये जाने का प्रावधान था। चूंकी यह कार्य दिनांक 15.09.2020 को प्रारम्भ किया गया जोकि कार्य के आबंटन की तिथि अर्थात 16.07.2020 से दो माह प चात् किया गया था जिस कारण निम्न तालिका में दिये गये विवरण अनुसार `16500 की प्राप्त धरोहर रा‍ि ा को जब्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

FDR Account No.	Date	Amount (Rs.)	Rate of Interest	Date of Maturity	Maturity Value (Rs.)
272100PU00027303	07.07.2020	10000	5.25%	07.07.2021	10535
272100PU00027359	07.07.2020	6500	5.25%	07.07.2021	6848
				Total	17383

(iii) निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर HP Minor Minerals (Concession) and Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, & Storage) Rules, 2015 के प्रावधान अनुसार royalty की कटौती की जानीअपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `60 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित फार्म एम० ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `11708 का अनियमित भुगतान किया गया था :

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	67.84	**m3**	0.47	31.89	0.89	60.38		0.00	
Laying CC Channels with cement sand mortar 1:2 - 250mm	60.1	**RMT**	0.005	0.31					
Laying CC Channels with cement sand mortar 1:2 - 150mm	119.8	**RMT**	0.005	0.60					
P/L CC 1:2:4 with 40mm aggregate	8.34	**m3**	0.445	3.72	0.85	7.09			
P/L Precast Cement Chequred tiles Cement Mortar 1:6	174.84	**m2**	0.027	4.73		0.00		0.00	
P/L Precast Cement Concrete 60mm thick	374.6	**m2**	0.027	10.12					
Total				51.37		67.47			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				77.06	**0.00**	**118.08**	**0.00**	**0.00**	**195.14**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**60**
				Amount of royalty deductible					**11708**

उक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 11 दिनाँक 05.11.2022 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा आव यक जाँच उपरान्त इस सम्बन्ध में निमयानुसार कार्रवाई करते हुये वाँछित अभिलेख/वर्णित राि ा की वसूली सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगतकरवाया जाये।

अन्य निर्माण कार्य

3	**Name of Work**	C/O B/wall near H/O Sh. Ashwani Kumar in Ward No. 8 Nalagarh
	Name of contractor	Sh. Ajay kumar
	Award letter No./ MB No	MC/NLG/.Works/2018-1737 Dated 31/12/2018 / MB No.89 Page 96-100

Awarded Amount 769349/- Executed amount Rs. 839816
Time Allowed Three month – DOS – 16/07/2020 DOC – 25/08/2020
Estimate Rs. 4,99,445 approved by JE
1st R. Bill 410980 2nd & Final Bill for Rs. 428836

(i) निर्माण कार्य का आकलन `3 लाख से अधिक होने के पश्चात् भी कनिष्ठ अभयन्ता द्वारा अनुमोदित था|

(ii) निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर HP Minor Minerals (Concession) and Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, & Storage) Rules, 2015 के प्रावधान अनुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `60 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `30793 का अनियमित भुगतान किया गया था :

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	11.37	**m3**	0.47	5.34	0.89	10.12		0.00	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	0.546	**m3**	0.445	0.24	0.89	0.49		0.00	
Stone Filling	37.8	**m3**		0.00		0.00	1.1	41.58	
P/L CC 1:4:8 with 40mm aggregate	176.7	**m3**	0.47	83.05	0.89	157.26		0.00	
Total				88.64		167.87		41.58	
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				132.96	**0.00**	**293.78**	**0.00**	**86.48**	**513.22**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**60**
				Amount of royalty deductible					**30793**

(iii) कुल 41 No. of weepholes के संबंध में Retaining/ Breast Wall 1:4:8 की मद से जिसके

लिए संविदाकार को `3650 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था, आवश्यक कटौती न किये जाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को `1,058 (3.14x.05x.05x.90x41 x Rs. 3650) अधिक भुगतान भी किया गया था |

(iv) Cutting in earthwork की मद की वास्तविक मात्रा 80.44m^3 के विरुद्ध 81.462 m^3 @ Rs. 150/ m^3 की दर से अदा किये जाने के फलस्वरूप संविदाकार को `153 का अधिक भुगतान भी किया गया था |

(iv) 9.15% (Rs. 839817-769349=70468) के अधिक विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

4 Name of Work	Development of Gaushala near Ghat in ward no.1
Name of contractor	Sh. Surinder kumar
Award letter No./ MB No	MC/NLG(M.Works)/2020-792-797 Dated 16/07/2020 / MB No. 90 Page 35-44
Awarded Amount	677055 Executed amount Rs. 690618
Time Allowed	Three month – DOS – 21/07/2020 DOC – 7/09/2020

Estimate /Technical Sanction Rs. 761000 approved by AE

(i) निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर HP Minor Minerals (Concession) and Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, & Storage) Rules, 2015 के प्रावधान अनुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय रू 60 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `20,870 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था :

	Quantity		**Sand**		**Aggregate**		**Stone**		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	36.03	**m3**	0.47	16.93	0.89	32.07			
RR Masonry 1:6	16.29	**m3**	0.35	5.70		0.00	1.16	18.90	
Brickwork 1:5	42.28	**m3**	0.26	10.99		0.00			
15mm Cement Plaster 1:5	418.26	**m2**	0.018	7.53		0.00			

P/L CC 1:5:10 with 15% Plum	64.67	**m3**	0.43	27.81	0.82	53.03	0.15	9.70	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate in suspended floors	14.9	**m3**	0.445	6.63	0.89	13.26			
CC Flooring 25mm thick	50.97	**m2**	0.0111	0.57	0.0222	1.13			
Total				**76**.16		**99.49**		28.60	
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				114.24		**174.11**		**59.49**	**347.84**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**60**
				Amount of royalty deductible					**20870.00**

5. **Name of Work** — C/O Road from Ropar Road to Surendra Public School in Ward No. 2 Nalagarh

Name of contractor — Sh. Surinder kumar

Award letter No./ MB No — MC/NLG(M.Works)/2020-828-33 Dated 16/07/2020 / MB No. 90 Page 27-35

Awarded Amount — 827387/- Executed amount Rs. 782310

Time Allowed — Three month – DOS – 30/07/2020 DOC – 25/08/2020

Estimate — Rs. 990000 approved by AE

(i) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `60 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `32791 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था :

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12	136	**m3**	0.47	63.92	0.89	121.04		0.00	

with 40mm aggregate									
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	107.33	**m3**	0.445	47.77	0.89	95.52		0.00	
Total				111.69		216.56			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				167.54	**0.00**	**378.98**	**0.00**	**0.00**	**546.52**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**60**
				Amount of royalty deductible					**32791**

(ii) 5.45% के अधिक विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया |

6. Name of Work	C/O Drain & providing c.c colour pavers from Gabla kuan to Kali Mata and different street in Ward no. 5 Nalagarh
Name of contractor	Sh. Ajay Thakur
Award letter No./ MB No	MC/NLG/Works-2021-1445 Dated 15/09/2021 / MB No. 94 Page 54-58
Awarded Amount	824742/-Executed amount Rs. 689328
Time Allowed	Three month – DOS –**Not Recorded** DOC – **Not Recorded**
Estimate / Technical Sanction	Rs. 881000 approved by AE

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न मदों के संबंध में उपरोक्त कार्य हेतु negotiated rates से अधिक दर से भुगतान के परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `37965 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था :

Item No. as per award	Item Name	Quantity	Rate at which paid (Rs.)	Negotiated rate at which payment	Difference (Rs.)	Amount overpaid (Rs.)

letter				was due(Rs.)		
6	P/l in position Cement Concrete of specified grade excluding cost of centering and shuttering –All work upto Plinth level 1: 2:4 (40mm)	370.95	1050	950	100	37095
9	P/l Factory made Chambered edge Cement Concrete Paver Blocks in footpath, parks, lawns, deive ways or light traffic parking etc	8.70	6000	5900	100	870
Total amount overpaid						**37965**

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय रू 80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित फार्म एम० ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `10649 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था :

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	8.7	**m3**	0.445	3.88	0.89	7.74		0.00	
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	42.89	**m3**	0.47	20.16	0.89	38.17		0.00	
P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick	370.95	**m2**	0.03	11.13		0.00		0.00	
Total				35.17		45.91			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				52.76	**0.00**	**80.35**	**0.00**	**0.00**	**133.11**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**80**
				Amount of royalty deductible					**10649**

(iii) 16.41% के कम विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

7. Name of Work	Providing c.c colour paver and C/O drain from Dinesh printing press to bhagwati karyana store main bazaar Nalaghar
Name of contractor	Smt. Rafia khan
Award letter No./ MB No	MC/NLG/(m.works)/2021-1465 Dated 22/09/2021 / MB No. 95 Page 25-27
Awarded Amount	694030/-
Time Allowed	Six month DOS –**Not Recorded** DOC – **Not Recorded**
Estimate	Rs. 846000 approved by AE
Executed amount	Rs. 282797

(i) परिषद कार्यालय स्तर पर संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो प्रतिभूति की राशि `28279 तथा न ही ई०पी० ऍफ़० (EPF) की राशि `8908 की कटौती की गयी थी जबकि माप पुस्तिका में यह कटौतियां की गयी थी |

(ii) 59.25% (Awarded amount `694030, executed amount `2,82,797) के कम विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदान भी अंकेक्षण को नहीं प्रस्तुत किया गया|

(iii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय रू 80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `4860 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था:

	Qty		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Facto r	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	3.41	m3	0.445	1.52	0.89	3.03		0.00	
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	22.12	m3	0.47	10.40	0.89	19.69		0.00	
P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick	187.05	m2	0.03	5.61		0.00		0.00	
Total				17.53		19.69			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.50		1.75		2.08	
				26.29	0.00	34.46	0.00	0.00	60.75
				Royalty @ Rs. per metric tonne					80
				Amount of royalty deductible					4860

8. Name of Work	**Providing c.c colour paver and C/O drain from Guga mari chowk to Bata Jain Shop near Kali Mata Temple side Main Bazaar Nalagarh**
Name of contractor	Smt. Rehana
Award letter No./ MB No	Not found on file MB No. 94 Page 61-63
Awarded Amount	As per comparative (903167/-) Award letter not found on file
Time Allowed	-------- – DOS –Not recorded DOC – Not recorded
Estimate	Rs. 997000 approved by AE

Executed amount — Rs. 1231003 Payment restricted to Rs. 903167 to the amount as per award letter by AE

(i) परिषद कार्यालय स्तर पर संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो प्रतिभूति की राशि `123100 तथा न ही ई०पी० ऍफ़० (EPF) की राशि `38776 की कटौती की गयी थी जबकि माप पुस्तिका में यह कटौतियां की गयी थी |

(ii) मद संख्या 4 नाम P/L CC 1:2:4 मात्रा 12.34m^3 का भुगतान वास्तविक दर `4800/ $m^3$ के स्थान पर `5200/ m^3 से अदा किये जाने के फलस्वरूप संविदाकार को `4936 का अधिक भुगतान भी किया गया था |

(iii) 23.47% (`1231003-997000=234003) के अधिक विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

(iv) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `24102 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था :

	Qty		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	12.34	m3	0.445	5.49	0.89	10.98		0.00	
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	106.39	m3	0.47	50.00	0.89	94.69		0.00	
P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick	736.11	m2	0.03	22.08		0.00		0.00	
Total				77.57		105.67			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				116.36	0.00	184.92	0.00	0.00	301.28
				Royalty @ Rs. per metric tonne					80
				Amount of royalty deductible					24102

9. Name of Work — C/O Boundry wall for MC Gaushala with protection wall and steel gate in ward no.1 Nalagarh

Name of contractor — Sh. Ram Binder Singh

Award letter No./ MB No — MC/NLG/(m.works)/2021-781-785 Dated 7/06/2021 / MB No. 91 Page 91-92 (record entry) Abstract MB-94 (P-34-35)

Awarded Amount — 795713/-

Time Allowed	Three months – DOS 21/06/2021 DOC –14/07/2021
Estimate	Rs. 980000 approved by AE
1st Running Bill Rs. 571245	2nd & Final Bill for Rs. 265739

(i) कुल 120 No. of weepholes के संबंध में P/L Concrete for Plain/ Reinforced Concrete की मद से जिसके लिए संविदाकार को `2700 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था, आवश्यक कटौती न किये जाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को `2798 (3.14x.05x.05x.1.1x120x Rs. 2700) अधिक भुगतान भी किया गया था |

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `46986 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था :

			Sand		Aggregate		Stone		
	Quantity		Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	7.95	**m3**	0.47	3.74	0.89	7.08		0.00	
Brickwork 1:6	24.53	**m3**	0.26	6.38		0.00		0.00	
15mm Cement Plaster 1:3	218.02	**m2**	0.018	3.93		0.00			
Stone Filling	53.17	**m3**		0.00		0.00	1.1	58.49	
P/L CC 1:4:8 with 40mm aggregate (201.89 +42.90)	244.79	**m3**	0.47	115.06	0.89	217.86		0.00	
Total				129.11		224.94			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				193.67	**0.00**	**393.65**	**0.00**	**0.00**	**587.32**
				Royalty @ Rs. per metric tone					**80**
				Amount of royalty deductible					**46986**

10. Name of Work	C/O Protection wall back side Baba Balak Nath Temple sarai building in ward no. 3 Nalagarh
Name of contractor	Sh. Hardeep Singh bedi
Award letter No./ MB No	MC/NLG/works-2021-1012 Dated 17/ 7/2021 / MB No. 94 Page52-54
Awarded Amount	267641/- Executed amount Rs. 3,55,484
Time Allowed	Three months – DOS –**Not recorded**----- DOC **Not recorded**
Estimate	Rs. 278000 approved by AE
2nd & Final Bill for Rs. 147398	

(i) 32.8% (Awarded amount Rs. 267641, executed amount Rs. 3,55,484 i/c amount of 1st Running Bill of Rs.208085). के अधिक विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `6956 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था:

	Qty		**Sand**		**Aggregate**		**Stone**		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	2.16	m3	0.47	1.02	0.89	1.92		0.00	
Stone Filling	10.48	m3		0.00		0.00	1.1	11.53	
P/L CC 1:3:6 with 20mm aggregate	34.91	m3	0.47	16.41	0.94	32.82		0.00	
Total				17.43		34.74			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				26.15	0.00	60.80	0.00	0.00	86.95
				Royalty @ Rs. per metric tone					80
				Amount of royalty deductible					6956

11. Name of Work	Providing cc colour paver and C/O drain from bhagwati karyana store to Gurudwara main bazaar Nalagarh
Name of contractor	Smt. Rehana khan
Award letter No./ MB No	MC/NLG/(m. works)/2021-1466 Dated 22/09/2021 / MB No. 95 Page 27-29
Awarded Amount	699327/- Executed amount Rs. 365608
Time Allowed	Six month – ---- DOS –Not recorded DOC – Not recorded

(i) परिषद कार्यालय स्तर पर संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो प्रतिभूति की राशि `36560 तथा न ही ई०पी० ऍफ़० (EPF) की राशि `11517 की कटौती की गयी थी जबकि माप पुस्तिका में यह कटौतियां की गयी थी |

(ii) 47.72% (Awarded amount Rs. 699327, Executed amount Rs. 365608 Deviation- Rs. 333719.) के कम विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `6334 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था:

	Quantity		**Sand**		**Aggregate**		**Stone**		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	1.98	**m3**	0.445	0.89	0.89	1.76		0.00	
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	27.93	**m3**	0.47	13.13	0.89	24.86		0.00	
P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick	256.38	**m2**	0.03	7.70		0.00		0.00	
Total				21.72		26.62			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				32.58	**0.00**	**46.59**	**0.00**	**0.00**	**79.17**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**80**
				Amount of royalty deductible					**6334**

12. Name of Work	Upgradation of water supply scheme from Durga Mata Temple to ward no. 4&8 in Nalagarh Town
Name of contractor	Sh. Ajay thakur
Award letter No./ MB No	MC/NLG/works/2021-1446 Dated 15/09/2021 / MB No. 94 Page 38-40
Awarded Amount	1410396/-
Time Allowed	Three month – DOS **Not recorded** DOC - **Not recorded**
Estimate	Rs. 995600 approved by AE
Bill	1st Running Bill for Rs. 329133

(i) संविदाकार को निर्माण कार्य `14,10,396 की राशि पर आबंटित किया जबकि negotiation उपरांत की दरों अनुसार यह कार्य `13,97,896 की राशि पर आबंटित किया जाना अपेक्षित था |

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `11,235 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था|

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	5.44	**m3**	0.47	2.56	0.89	4.84		0.00	
Stone Filling (10.89 +58.56)	69.45	**m3**		0.00		0.00	1.1	76.40	
P/L CC 1:4:8 with 40mm	56.63	**m3**	0.47	26.62	0.89	50.40		0.00	

aggregate									
Total				29.18		55.24			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				43.77	**0.00**	**96.67**	**0.00**	**0.00**	**140.44**
				Royalty @ Rs. per metric tonne					**80**
				Amount of royalty deductible					**11235**

13. Name of Work	Providing CC Colour Pavers in Sheetla Mata Street, Ward No. 1, Nalagarh
Name of contractor	Sh. Krishan Lal
Award letter No./ MB No	MC/NLG/(m.works)/2021-1463 Dated 22/09/2021 / MB No. 95 Page 30-31
Awarded Amount	`759630
Time Allowed	Six month – DOS **Not recorded** DOC - **Not recorded**

1st Running Bill Rs. 6,15,411, 2nd & Final Bill Total Rs. 139514 Executed amount Rs. 754925

(i) अंकेक्षण में पाया गया कि न्यूनतम निविदा `771479 के विरूद्व उक्त निर्माण कार्य का आबंटन `759630 के लिये किया गया था जोकि न्यूनतम निविदा से कम था जिससे प्रतीत होता है कि नैगोि ए ान के कारण न्यूनतम निविदा से कम राि ा पर निर्माण कार्य का आबंटन किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा नैगोि ए ान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत ही नहीं किया गया जिससे अंकेक्षण के स्तर पर आव यक सत्यापन संभव नहीं हो सका तथा ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा संविदाकार को अधिक भुगतान करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित फार्म एम० ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `15,408 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था|

	Quantity		**Sand**		**Aggregate**		**Stone**		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate (12.37+ 1.35)	13.72	**m3**	0.445	6.11	0.89	12.21		0.00	
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate (49.64+ 11.69)	61.33	**m3**	0.47	28.83	0.89	54.58		0.00	

P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick (413.94 +103.45)	517.39	**m2**	0.03	15.53		0.00		0.00	
Total				50.47		66.79			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				75.71	**0.00**	**116.89**	**0.00**	**0.00**	**192.60**
Rate of Royalty per tonne									**80**
Amount of Royalty Rs.									**15408**

14. Name of Work	Providing CC Colour Pavers & C/o Drain from Bata Jain Shop to Jain Sthanak, Main Bazar, Nalagarh
Name of contractor	Sh. Ajay Thakur
Award letter No./ MB No	MC/NLG/(m.works)/2021-1015 Dated 17/07/2021/ MB No. 94 Page 17-20
Awarded Amount	911770 Executed amount Rs. 565448
Time Allowed	Three month s – DOS **30.9.2021** DOC – **20.10.2021**

(i) Item No. 2 –Demolition, 3- P/L CC 1:5:10, & 7- P/L CC 1:2:4-40MM की अदायगी क्रम ा: @ Rs. 350. Rs. 3100 & Rs. 4500 की दरों पर की गई थी जबकि तुलनात्मक विवरणी अनुसार दरें क्रम ा: Rs. 400, Rs. 3200 & Rs. 5200 थी परन्तु नगर परिषद द्वारा नैगोि ए ान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत ही नहीं किया गया जिससे अंकेक्षण के स्तर पर आव यक सत्यापन संभव नहीं हो सका तथा ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा संविदाकार को अधिक भुगतान करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

(ii) 37.98%(Awarded amount Rs. 911770, Executed amount Rs. 565448, Deviation Rs. 3,46,322) के कम विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदान भी अंकेक्षण को नहीं प्रस्तुत किया गया|

(iii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `9,684 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था|

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 40mm aggregate	8.31	m3	0.445	3.70	0.85	7.06			
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	38.29	m3	0.47	18.00	0.89	34.08		0.00	
P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick	366.49	m2	0.03	11.00		0.00		0.00	
Total				32.70		41.14			

Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				49.05	0.00	72.00	0.00	0.00	121.05
Rate of Royalty per tonne									80
Amount of Royalty Rs.									**9684**

15. Name of Work C/O Retaining wall to road (Back side Girdhari Temple) from Ram Leela ground to upside ward no. 9 Nalagarh
Name of contractor Sh. Ajay thakur
Award letter No./ MB No MC/NLG/works-2021-1013 Dated 17/07/2021 / MB No. 94 Page 36-37
Awarded Amount 233174/-Executed amount- Rs. 83427
Time Allowed Three month – DOS –Not recorded DOC –Not recorded

(i) 64.22% (Awarded amount Rs. 233174, Executed amount Rs. 83427 Deviation-Rs. 149747.) के कम विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदान भी अंकेक्षण को नहीं प्रस्तुत किया गया|

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय `80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती नहीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `9676 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था|

	Quantity		**Sand**		**Aggregate**		**Stone**		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:6:12 with 40mm aggregate	2.21	**m3**	0.47	1.04	0.89	1.97		0.00	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	32.24	**m3**	0.445	14.35	0.89	28.69		0.00	
Stone Filling	19.32	**m3**		0.00		0.00	1.1	21.25	
Total				15.39		30.66		21.25	
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				23.09	**0.00**	**53.66**	**0.00**	**44.20**	**120.95**
Rate of Royalty per tonne									**80**
Amount of Royalty Rs.									**9676**

16. Name of Work	Providing C.C. Colour Pavers and drain from Jain Sthanak to Dinesh Printing Press Main Bazar
Name of contractor	Sh. Ajay thakur
Award letter No./ MB No	MC/NLG/works-2021-1016 Dated 17/07/2021 / MB No. 94 Page 20-22
Awarded Amount	878045/-Executed amount Rs. 4,11,110
Time Allowed	Three months – DOS – **30/09/2021** DOC –**20/10/2021**

(i) 53.18% (Awarded amount Rs. 878045, Executed amount Rs. 4,11,110, Deviation-Rs. 466935.) के कम विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

(ii) संविदाकार को आबंटन पत्र में वणित दरों से अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण निम्न तालिका में द र्शाये गये विवरणा अनुसार `10883 का अधिक भुगतान किया गया था।

Item No. as per bill	Item Name	Quantity	Rate at which paid (Rs.)	Rate Due (Rs.)	Difference (Rs.)	Amount overpaid (Rs.)
1	Demolishing C.C work manually/mechanically	58.43	400	350	50	2922
2	P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	29.21	3200	3100	100	2921
3	P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	7.20	5200	4500	700	5040
					Total amount overpaid	**10883**

(ii) इस प्रकरण में भी संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय रू 80 प्रति टन की दर से royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इस प्रकार संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार `7494 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था|

	Quantity		Sand		Aggregate		Stone		
			Factor	Qty	Factor	Qty	Factor	Qty	
P/L CC 1:2:4 with 20mm aggregate	7.2	**m3**	0.445	3.21	0.89	6.41		0.00	
P/L CC 1:5:10 with 40mm aggregate	29.21	**m3**	0.47	13.73	0.89	26.00		0.00	
P/L Interlocking Concrete paver blocks 80mm thick	256.18	**m2**	0.03	7.69		0.00		0.00	
Total				24.63		32.41			
Factors for conversion of above quantities into weight in metric tonnes				1.5		1.75		2.08	
				36.95	**0.00**	**56.72**	**0.00**	**0.00**	**93.67**
								Rate of Royalty per tonne	**80**
								Amount of Royalty Rs.	**7494**

17. Name of Work	C/o Road from Dinesh Printing Press to Jain Sthanak (SH-Disposal of Mulba)
Name of contractor	Sh. Ajay Thakur
Award letter No./ MB No	MC/NLGAward/20-21-1706/1 Dated 18.11.21/ MB No. 94 Page 50
Work order	Amount not indicated
Time Allowed	Not indicated – DOS **Not recorded** DOC – **Not recorded**

(i) तुलनात्मक विवरणी में मद संख्या:1 Centering & Shuttering i/c strutting propping etc. and removal of form – Edges of Slab and breaks in floor under wall under 20 cm wide की दर को `155 से घटाकर `150 कर दिया गया था तथा इसी प्रकार मद संख्याः 2 Disposal of morrum/ building rubbish / malba/ similar unserviceable, dismantled or waste material by mechanical transport i/c loading, transporting, unloading to approved municipal dumping ground for lead upto 10 kms को `950 से घटाकर `850 किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा नैगोि एए ान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत ही नहीं किया गया जिससे अंकेक्षण के स्तर पर आव यक सत्यापन संभव नहीं हो सका तथा ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा संविदाकार को अधिक भुगतान करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

(ii) उक्त निर्माण कार्य में गणना की त्रुटि के कारण मद संख्या:1 की मात्रा 207.80 RMT के स्थान पर 261.80 RMT माप पुस्तिका में दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप इस मद हेतु संविदाकार को `150 प्रति RMT की दर से `8100 (261.80-207.80=54@150) का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त उप–पैरा संख्याः 3 से 17 में वर्णित अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 11 दिनाँक 05.11.2022 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में प्राप्त पत्र संख्याः MC/NLG/2022-1148 दिनॉक 14.11.2022 द्वारा यह आ वस्त किया गया कि नगर परिषद द्वारा भविष्य में आबंटित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र संख्याः में एम फॉर्म की भार्त को सम्मिल्लित किया जाना सुनिि चत किया जायेगा तथा संविदाकार द्वारा एम फॉर्म प्रस्तुत न करने पर नियमानुसार रॉयल्टी की आव यक कटौती की जानी भी सुनिि चत की जायेगी। नगर परिषद द्वारा यह भी आ वस्त किया गया कि अन्य अंकेक्षण आपत्तियों बारे भी उनके स्तर पर आव यक जाँच उपरान्त कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में आ वासनानुसार सम्बन्धित अभिलेख सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा आव यक जॉच उपरान्त इस सम्बन्ध में निमयानुसार कार्रवाई करते हुये वर्णित राि ा की वसूली सुनिि चत कर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27 निर्माण कार्यों का नियमानुसार अभिलेख तैयार न किया जाना व निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना करना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों बिलों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं भी पाई गई जिनका नियमानुसार यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(i) निर्माण कार्य के संबंध में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य समाप्त करने की तिथि माप पुस्तिका में दर्ज नहीं पाई गई |

(ii) माप पुस्तिका में निर्माण कार्य के संबंध में सभी वांछित प्रमाण पत्र **कनिष्ठ अभियन्ता** द्वारा दर्ज नहीं किये जा रहे थे |

(iii) निर्माण कार्य के आकलन उच्च **अधिकारियों** से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के उद्देश्य से जानबूझ कर `10 लाख की राशि तक ही सीमित रखे जा रहे थे जबकि वास्तविक कार्य इस राशि से कहीं अधिक पर आबंटित किये गए थे जैसा की उक्त पैरा में दिए गए प्रकरणों से स्वत: ही स्पष्ट है|

(iv) निर्माण कार्य के ठेकों के आंबटन पर ठेकेदरों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए जा रहे **थे** |

(v) निर्माण कार्यों के आंबटन के समय विभिन्न मदों के **न्यायोचित** दरें (justified rates) भी नहीं निकाली जा रहीं **थी** जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर अनियमित अधिक भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता|

(vi) ठेकेदारों द्वारा टैण्डर में दी गई दरों के लिए तैयार अधिकां ा तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना अनुसूचित दरों से करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रति ात नहीं द ार्या गया था (Percentage above or below the Scheduled Rates not being referred in comparative statement of tendered rates)| साथ ही यह तुलनात्मक विवरणी प्रधान, नगर परिषद से सत्यापित भी नहीं कार्रवाई गई थी।

(vii) संविदाकार द्वारा कार्य में उपयोग किए गए सीमेन्ट के सत्यापन हेतु संविदाकार द्वारा क्रय किए गए सीमेन्ट से सम्बन्धित बिल प्राप्त करके वाउचर के साथ नहीं लगाये गये थे जबकि Theoretical Material Consumption Statements भी तैयार नहीं की जा रही थी | इन दोनों के आभाव संविदाकारों को अनियमित अधिक भुगतान किये जाने तथा कार्य की गुणवता से समझोता करने की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता |

(viii) संविदाकारों द्वारा अपने स्तर पर बिजली एवं पानी का प्रबंध किये जाने बारे माप पुस्तिका में न तो कोई प्रमाण पत्र दर्ज़ किया जा रहा था तथा न ही उनको देय भुगतान से 1.5% की दर से कोई कटौती की जा रही थी|

(ix) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में Award letters and negotiation letters भी संबधित नस्तियों से गायब थे जिस कारण awarded rates तथा negotiated rates की पुष्टि भी संभव न हो सकी |

(x) Negotiated rates भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाए गए थे|

(xi) सभी निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विचलन विवरणी भी तैयार नहीं की जा रही थी|

(xii) किसी भी निर्माण कार्य के संबंध में बारम्बार अनुरोध के पश्चात् भी नगर परिषद के सदन का अनुमोदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया |

(xiii) धरोहर राशि से संबंधित सावधि जमा रसीदों को बैंक के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी. नगर परिषद के पक्ष में प्लेज नहीं करवाया जा रहा था |

(xiv) माप पुस्तिका पंजी, धरोहर राशि पंजी तथा प्रतिभूति पंजी बारम्बार अनुरोध के पश्चात् भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई |

(xi) विभिन्न निर्माण कार्यो से संमब्धित ऑफलाइन टेंडर / निविदाओं के लिफाफे या तो अभिलेख में नहीं पाए गए अथवा निविदायें खोलने वाली कमेटी के प्रतेयक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित नहीं पाए गए |

(xvi) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकारों को देय रा ि ा से प्रतिभूति रा ि ा से 10 प्रति ा त की समान दर से ही कॉटी जा रही थी जबकि नियमानुसार प्रावधान निम्न तालिका अनुसार है।

Upto Rs. 2 Lacs	10%
Rs. 2,00,001 to 5,00,000	Rs. 20000 + 7.5%
Rs. 5,00,001 to 50,00,000	Rs. 42500+ 5%
Above Rs. 50 Lacs	Rs. 2,67,500 + 2.5%

उक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 11 दिनॉक 05.11.2022 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करना तथा आव यक अभिलेख को संधारित करना सुनिि चत कर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28 संविदाकारों को अग्रिम राशि के भुगतान एवं समायोजन संबंधी अनियमितताए : -

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न संविदाकारों को दी गई अग्रिम रा ि ा यद्यपि समायोजित कर ली गई थी परन्तु इनकी सम्बन्धित अभिलेख से जॉच के दौरान यह पाया गया कि संविदाकारों को विभिन्न कार्यों के विरूद्व पृथक–पृथक अग्रिम न देकर एकमु त अग्रिम जारी किया जा रहा था जोकि अनियमित है तथा यह भी पाया गया कि अग्रिम के समायोजन बारे वाउचर तथा माप पुस्तिका में आव यक सन्दर्भ अभिलेखित करते हुये प्रविष्टियॉ दर्ज नहीं की जा रही थी जिस सम्बन्ध में भविष्य में वि ोष ध्यान रखा जाये।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2016 से 31/03/2018 के **पैरा संख्याः–17** के अनुसार संविदाकारों को दिये गये अग्रिम की अद्यतन स्थिति **परिशिष्ट–19** अनुसार है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख से कर ली गई इस सम्बन्ध में सारां ा निम्न तालिका में द ार्या गया है।

Advances given to contractors (`)	**Advances Adjusted upto 31-03-2022 (`)**	**Outstanding Advances as on 31-03-2022 (`)**
4777036	1103971	3673065

अंकेक्षण के दौरान यही भी पाया गया कि यद्यपि उक्त `1103971 की रा‍ि ा के अग्रिम संविदाकारों को देय भ‍ुद्ध रा‍ि ा (अर्थात वैधानिक कटौतियों के उपरान्त बची भ‍ोष रा‍ि ा) के विरूद्व समायोजन किया गया था परन्तु वैधानियक कटौतियों के सम्बन्ध में कोई भी अदायगी सम्बन्धित विभाग को नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त इन समायोजन से सम्बन्धित प्रविष्टियॉ माप पुस्तिकाओं में तो दर्ज पाई गई परन्तु इनके सम्बन्ध में रोकड बही में काई भी प्रविष्टी दर्ज नहीं थी।

अतः उक्त समायोजित अग्रिमों के सम्बन्ध में परिषद के स्तर पर आव‍ यक जॉच उपरान्त अपेक्षित वैधानिक कटौतियों की सम्बन्धित विभाग को अदायगी कर तथा लम्बित अग्रिमों के सम्बन्ध में समायोजन हेतु तदानुसार ही पूर्ण कार्रवाई यथा‍ ‍ीघ्र कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 निविदाकारों के निर्माण विपत्रों से 3.15 % की दर से EPF **की कटौती के उपरांत सहायक** EPF Challan **की मांग कर श्रमिकों के भविष्य निधि खातों में निविदाकारों द्वारा नियमानुसार जमा करवाई जाने वाली राशि के वस्तविक जमा को सुनिश्चित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास न करना:**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निविदाकारों के निर्माण विपत्रों से 3.15 % की दर से EPF की कटौती की जा रही थी परन्तु निविदाकारों से उनके द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु काम पर लगाये श्रमिकों के EPF खातों में नियमानुसार जमा करवायी गयी राशि के सहायक EPF के चालान की मांग कर पूर्व में की गयी कटौती की राशि निविदाकारों को वापिस नहीं की जा रही थी| इस प्रकार निर्माण विपत्रों से EPF की कटौती की यह प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता की तरह निभाई जा रही थी तथा नियमों में श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के भाव से किए गए इस प्रावधान को लागू करने हेतु नगर परिषद द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया प्रतीत होता है | इस संबंध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 07.11.2022 द्वारा नगर परिषद् से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु तथा अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक इस संबंध में एकत्रित राशि बारे सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: भविष्य में इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाये तथा

नियमों में श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के भाव से किए गए इस प्रावधान की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

30. वाउचर संख्या 75 मार्च 2022 द्वारा `171165 के भुगतान के संबंध में विभिन्न आपत्तियां एवम `7920 की अधिक अनियमित अदायगी :

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मास मार्च, 2022 के वाउचर संख्या 75 के माध्यम से निम्न वर्णित कार्यों हेतु `1,71,165 की अदायगी की गयी थी परन्तु न तो अभिलेख में NIQ(Notice inviting quotations), न ही प्राप्त निविदाओं के लिफाफे पाए गए तथा नगर परिषद, नालागढ़ द्वारा इस संबंध ने पारित प्रस्ताव भी अंकेक्षण को नही दर्शाया गया जिससे इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता के अभाव के कारण वित्तीय अनियमितताओं की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता | इस संबंध में ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ |

Sr No	Name of work	Amount (Rs.)
(i)	P/L Sanitary pipes to Bhagwati Kiryana store to Gurudwara Sahib Ward No. 8, Nalagarh	**36860**
(ii)	P/L Sanitary pipes to Bhagwati Kiryana store to Dinesh Printing Press	**36860**
(iii)	P/L Sanitary pipes to Main Road Chuwal to house of Shri Modgil, Ward No. 7, Nalagarh	**37760**
(iv)	P/L Sanitary pipes to Main Bajar Nalagarh from Bata Jain Shop to Main Gate, Nalagarh	**59685**
	Total	**171165**

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त तालिका के क्रम संख्या (iv) पर दर्शाए गए कार्य नाम : P/L Sanitary pipes to Main Bajar Nalagarh from Bata Jain Shop to Main Gate, Nalagarh के प्रसंग की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यह कार्य श्रीमति रिहाना खान से `59685 में करवाया गया जबकि श्री मोईन खान ने इस कार्य को करने हेतु कुल रू 52065 राशि मांगी थी जिसमे बतौर लेबर चार्जेज `2000 की दर अंकित की गयी थी | परन्तु नगर परिषद कार्यालय स्तर पर तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय श्री मोईन खान की निविदा के लेबर चार्जेज को `2000 के स्थान पर `20000 (अर्थात `18000 अधिक) इंगित कर दिया गया जिस

कारण उनकी कुल निविदा दर `52065 के स्थान पर `70065 (52065 + 20000-2000) इंगित की गयी तथा उक्त कार्य श्रीमति रिहाना खान को `59685 की कुल दर पर आबंटित कर दिया गया जबकि तीसरी निविदा उक्त दोनों निविदाओं से अधिक की थी | इस प्रकार उक्त कार्य को न्यूनतम निविदा दरों से अधिक दर पर आबंटित किये जाने के दृष्टिगत नगर परिषद को `7620 (`59685-52065) की हानि हुई जिसकी पूर्ति उचित स्रोत से वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा की ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा अंकेक्षण के दौरान भी अनुरोध किया गया था |

(iii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या (iii) पर दर्शाए गए कार्य नाम : P/L Sanitary pipes to Main Road Chuwal to house of Shri Modgil, Ward No. 7, Nalagarh के प्रसंग में पाइपस की मद के अंतर्गत 8 पाइपस हेतु रू 1200 की दर से रू 9600 के स्थान पर रू 9900 का भुगतान निविदाकार श्रीमति रिहाना खान को कर दिया गया | इस प्रकार गणना की त्रुटी के कारण नगर परिषद को रू 300(रू 9900-9600) की हानि हुई जिसकी वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा की ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा अंकेक्षण के दौरान भी अनुरोध किया गया था |

31 विविध :

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मास मार्च, 2022 के वाउचर संख्या 23 के माध्यम से M/s JBR Environment Technologies (P) Limited, Baddi को मास फरवरी, 2022 में बतौर 207.16 टन कूड़े के टिप्पिंग चार्जेज (Tipping Charges) की `990 प्रति टन की दर से `1,64,837 को भुगतान किया गया था परन्तु इस संबंध में न तो उक्त कंपनी के साथ किये गये अनुबंध / MOU की प्रति तथा न ही इस कार्य हेतु उपयोग में लायी गयी गाड़ियों की लोग बुक की Sanitary Supervisor द्वारा सत्यापित प्रतियाँ अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गयी जबकि इस संबंध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 11.11.2022 द्वारा विशेष अनुरोध किया गया था | परिणामस्वरूप उक्त अदायगी का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन संभव न हो सका | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मास सितम्बर, 2020 के वाउचर संख्या 44 दिनांक 23.09.2020 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र कुमार, ठेकेदार को कार्य C/o Road from Ropar Road to Surendra Public School (MB-90 Page- 35) के संबंध में कुल देय राशि `6,49,247 में से उनके द्वारा कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य स्थल पर पाए गए defects को दरुस्त न किया जाने के दृष्टिगत `1,50,000 की राशि रोक कर (withheld) शेष राशि `499247 का भुगतान किया गया था | उस दिन ही सितम्बर, 2020 के वाउचर संख्या 53 दिनांक 23.09.2020 द्वारा उक्त `1,50,000 की रोकी गयी राशि की अदायगी उक्त ठेकेदार को कनिष्ठ अभियंता की इस रिपोर्ट पर कर दी गयी कि उनसे बतौर प्रतिभूति `1,50,000 का चेक ले लिया गया है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो अभिलेख में बतौर प्रतिभूति `1,50,000 के लिए गए चेक का कोई विवरण दर्ज पाया गया तथा न ही कार्य स्थल पर पाए गए defects को दरुस्त किये जाने बारे कोई स्पष्टीकरण ही अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया जबकि इस संबंध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 11.11.2022 द्वारा विशेष अनुरोध किया गया था | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

32 स्टोर / स्टॉक

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के स्टोर/स्टॉक के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करवाना

(i) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 तथा 141 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष करवाया जाना अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 21.09.2022 द्वारा इस संबंध में आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा स्टोर एवं स्टॉक के भौतिक सत्यापन से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा था

जोकि उपरोक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंकेक्षण द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न करना परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) Inventory Register का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी inventory register अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा inventory register का रख रखाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि विभिन्न पंजिकाओं को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नही किया गया था जोकि अनियमित है | inventory register के अभाव में कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न पंजिकाओं बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं होती है | अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए inventory register का रख रखाव करके परिषद की सभी पंजिकाओं को Inventory Register में दर्ज करना व उन पर inventory no. अंकित करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(iii) अचल संपत्ति पंजिका (Immovable Property register) **अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना**

Municipal Act 1994 की धारा 57 (3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार परिषद द्वारा अचल संपत्ति पंजिका का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है जिसमें परिषद की विभिन्न अचल सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो **|** अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह (के पश्चात भी वर्णित अभिलेख अवलोकन प्रस्तुत नहीं किया गया **|** अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख अधतन (update) करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(iv) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा चयनित मासों के दौरान कोई भी स्टोर / स्टाक की वस्तुओं की खरीदारी जेम पोर्टल (**Gem portal)** से नहीं की गयी थी जो की सरकार के पत्र संख्या **Fin(C)A(3)52004 fnukWd 19-07-2017** द्वारा इस संबंध में ज़ारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त दिशानिर्देशानुसार जेम पोर्टल (**Gem portal)** से स्टोर / स्टाक की वस्तुओं की खरीदारी शीघ्र अति शीघ्र प्रारम्भ कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 14.11.2022 द्वारा भी इस संबंध में विशेष रूप से आग्रह किया गया है |

33 **लघु आपत्ति विवरणी :-** यह अलग से जारी नही की गई थी अपितु सभी लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था |

34 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख- रखाव में अत्याधिक सुधार व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है |

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
ि ामला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या : v (10) फिन (एल0ए0) खण्ड–5 ि ामला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदे ाक भाहरी विकास हिमाचल प्रदे ा ि ामला–171009 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आव यक कार्रवाई करने के लिए निर्दे ा जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदे ा को इस आ ाय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/-
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
ि ामला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट (1)

पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद नालागढ़ के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52

1 पैरा–6 (ए) (5) अनिर्णीत

2 पैरा–6 (ए) (6) अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57

1	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा—12	अनिर्णीत
3	पैरा—15	अनिर्णीत

(3) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/65

1	पैरा—8 (2) (बी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक

1	पैरा—9	अनिर्णीत
2	पैरा—10 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा—10 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा—10 (जी)	अनिर्णीत
5	पैरा—18	अनिर्णीत
6	पैरा—21 (जी)	अनिर्णीत
7	पैरा—23 (बी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक

1	पैरा—7	आंशिक निर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—10	अनिर्णीत
4	पैरा—14	अनिर्णीत
5	पैरा—16	अनिर्णीत
6	पैरा—17	अनिर्णीत
7	पैरा—18 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा—18 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा—18 (7)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (20)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (डी) (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (डी) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–20	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–24	अनिर्णीत
23	पैरा–25	अनिर्णीत

24	पैरा–27	अनिर्णीत
25	पैरा–28	अनिर्णीत
26	पैरा–29	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (जी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत

7	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत

(10) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत

3	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (एल)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एन)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (पी)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–18 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा–18 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–19 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत

27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा–9	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
20	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
21	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (डी)	अनिर्णीत

23	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (जी)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (एच)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
34	पैरा–16	अनिर्णीत
35	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
36	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
37	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (ई)	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ए) (3)	अनिर्णीत

5	पैरा–6 (ए)	आंशिक निर्णीत	(`9078.84 की वसूली भोष)
6	पैरा–6 (बी)	आंशिक निर्णीत	(`9028.00 की वसूली भोष)
7	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11	अनिर्णीत	
13	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत	
14	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत	
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत	
19	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत	
20	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत	
21	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत	
22	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत	
23	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत	
24	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत	
25	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत	
26	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत	
27	पैरा–15 (के)	अनिर्णीत	
28	पैरा–15 (एम)	अनिर्णीत	

29	पैरा–15 (एन)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

(15) लघु आपत्तियॉ

1	4/74 से 3/79	9 व 11 अनिर्णीत
2	4/79 से 3/80	5 व 8 अनिर्णीत

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–5 (जे)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा–7 (बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (एफ)	अनिर्णीत

10	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (ए) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ए) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ए) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (ए) (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (बी) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (बी) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (बी) (5)	अनिर्णीत
23	पैरा–18	अनिर्णीत
24	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–20 (ई)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत
25	लघु आपत्तियॉ 4, 6 व 7	अनिर्णीत

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक

1	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत

5	पैरा–5 (ग) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (क)	आंशिक निर्णीत
10	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
18	पैरा–15 (2) (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (2) (i)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (2) (ii)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (2) (iii)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (4)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (4) (i)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (4) (ii)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (4) (iii)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (4) (iv)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (5) (i)	अनिर्णीत

29	पैरा–15 (5) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (6) (i)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (7) (i)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (7) (ii)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (7) (iii)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (7) (iv)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (8) (i)	अनिर्णीत
36	पैरा–15 (8) (ii)	अनिर्णीत
37	पैरा–15 (8) (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
40	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
41	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत
42	पैरा–16 (iii)	अनिर्णीत
43	पैरा–16 (iii) (i)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (iii) (ii)	अनिर्णीत
45	पैरा–16 (iii) (iii)	अनिर्णीत
46	पैरा–16 (iii) (iv)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (iii) (v)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (iii) (vi)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (iii) (vii)	अनिर्णीत
50	पैरा–16 (iii) (viii)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (iii) (ix)	अनिर्णीत

52	पैरा–16 (iii) (x)	अनिर्णीत
53	पैरा–16 (iii) (xi)	अनिर्णीत
54	पैरा–16 (iii) (xii)	अनिर्णीत
55	पैरा–16 (iii) (xiii)	अनिर्णीत
56	पैरा–16 (iii) (xiv)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xv)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xvi)	अनिर्णीत
58	पैरा–16 (iii) (xvii)	अनिर्णीत
60	पैरा–16 (iii) (xix)	अनिर्णीत
61	पैरा–16 (iii) (xx)	अनिर्णीत
62	पैरा–16 (iii) (xxi)	अनिर्णीत
63	पैरा–16 (iii) (xxii)	अनिर्णीत
64	पैरा–16 (iii)(xxiii)	अनिर्णीत
65	पैरा–16 (iii)(xxiv)	अनिर्णीत
66	पैरा–16 (iii)(xxv)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (iii)(xxvi)	अनिर्णीत
68	पैरा–16 (iii)(xxvii)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (iii)(xxviii)	अनिर्णीत
70	पैरा–16 (iii)(xxix)	अनिर्णीत
71	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत
72	पैरा–18 (क) (i)	अनिर्णीत
73	पैरा–18 (क) (ii)	अनिर्णीत
74	पैरा–18 (ख) (i)	अनिर्णीत
75	पैरा–18 (ख) (ii)	अनिर्णीत

76	पैरा–18 (ख) (iii)	अनिर्णीत
77	पैरा–18 (ख) (iv)	अनिर्णीत
78	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत
79	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत
80	पैरा–19 (क) (i)	अनिर्णीत
81	पैरा–19 (क) (ii)	अनिर्णीत
82	पैरा–19 (क) (iii)	अनिर्णीत
83	पैरा–19 (क) (iv)	अनिर्णीत
84	पैरा–19 (क) (v)	अनिर्णीत
85	पैरा–19 (क) (vi)	अनिर्णीत
86	पैरा–19 (क) (vii)	अनिर्णीत
87	पैरा–19 (क) (viii)	अनिर्णीत
88	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत
89	पैरा–20	अनिर्णीत
90	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत
91	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
92	पैरा–22 (i)	अनिर्णीत
93	पैरा–22 (ii)	अनिर्णीत
94	पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत
95	पैरा–22 (iv)	अनिर्णीत
96	पैरा–22 (v)	अनिर्णीत
97	पैरा–23	अनिर्णीत
98	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत
99	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत

100	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
101	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
102	पैरा–24 (घ)	अनिर्णीत
103	पैरा–24 (ङ)	अनिर्णीत
104	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
105	पैरा–30	अनिर्णीत
106	पैरा–31	अनिर्णीत
107	पैरा–32	अनिर्णीत
108	पैरा–33 (1) (i)	अनिर्णीत
109	पैरा–33 (1) (ii)	अनिर्णीत
110	पैरा–33 (1) (iii)	अनिर्णीत
111	पैरा–33 (1) (iv)	अनिर्णीत
112	पैरा–33 (ख) (1)	अनिर्णीत
113	पैरा–33 (ख) (3)	अनिर्णीत
114	पैरा–33 (ख) (4)	अनिर्णीत
115	पैरा–33 (ख) (5)	अनिर्णीत
116	पैरा–33 (ख) (6)	अनिर्णीत
117	पैरा–33 (ख) (7)	अनिर्णीत
118	पैरा–33 (ख) (8)(i)	अनिर्णीत
119	पैरा–33 (ख) (8) (ii)	अनिर्णीत
120	पैरा–33 (ख)(8) (iii)	अनिर्णीत
121	पैरा–33 (ख)(8) (iv)	अनिर्णीत
122	पैरा–33 (ख) (9)	अनिर्णीत
123	पैरा–33 (ख) (10)	अनिर्णीत

124	पैरा—33 (ख) (11)	अनिर्णीत

(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1	पैरा—2	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (iv)	अनिर्णीत
5	पैरा—4 (v) (i)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (v) (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (vii)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (viii)	अनिर्णीत
9	पैरा—5 (1) से 4 (xx)	अनिर्णीत
10	पैरा—6 (i) से (ii)	अनिर्णीत
11	पैरा—7	अनिर्णीत
12	पैरा—8 (i) से 8 (vi)	अनिर्णीत
13	पैरा—9 (i) से (xii)	अनिर्णीत

(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10 तक

1	पैरा—4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (2) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (2) (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा—6.1	अनिर्णीत

7	पैरा–6.3	अनिर्णीत
8	पैरा–7.6.1	अनिर्णीत
9	पैरा–8.1	अनिर्णीत
10	पैरा–9	अनिर्णीत
11	पैरा–9.1	अनिर्णीत
12	पैरा–9.2	अनिर्णीत
13	पैरा–9.3	अनिर्णीत
14	पैरा–9.4	अनिर्णीत
15	पैरा–10	अनिर्णीत
16	पैरा–11	अनिर्णीत
17	पैरा–12.1	अनिर्णीत
18	पैरा–12.2	अनिर्णीत
19	पैरा–12.3	अनिर्णीत
20	पैरा–12.4	अनिर्णीत
21	पैरा–13	अनिर्णीत
22	पैरा–13.1	अनिर्णीत
23	पैरा–13.2	अनिर्णीत
24	पैरा–13.3	अनिर्णीत
25	पैरा–14	अनिर्णीत
26	पैरा–14.1	अनिर्णीत
27	पैरा–15	अनिर्णीत
28	पैरा–15.1.1	अनिर्णीत
29	पैरा–15.1.2	अनिर्णीत
30	पैरा–15.2	अनिर्णीत

31	पैरा–15.3	अनिर्णीत
32	पैरा–15.4	अनिर्णीत
33	पैरा–16.1	अनिर्णीत
34	पैरा–16.2	अनिर्णीत
35	पैरा–16.3	अनिर्णीत
36	पैरा–16.4	अनिर्णीत
37	पैरा–16.5	अनिर्णीत
38	पैरा–16.6	अनिर्णीत
39	पैरा–16.7	अनिर्णीत
40	पैरा–16.8	अनिर्णीत
41	पैरा–16.9	अनिर्णीत
42	पैरा–16.10	अनिर्णीत
43	पैरा–17.1	अनिर्णीत
44	पैरा–17.2	अनिर्णीत
45	पैरा–17.3	अनिर्णीत
46	पैरा–17.4	अनिर्णीत
47	पैरा–18	अनिर्णीत
48	पैरा–18.1	अनिर्णीत
49	पैरा–18.2	अनिर्णीत
50	पैरा–18.3	अनिर्णीत
51	पैरा–19	अनिर्णीत
52	पैरा–20	अनिर्णीत
53	पैरा–21	अनिर्णीत
54	पैरा–22	अनिर्णीत

55	पैरा—23	अनिर्णीत
56	पैरा—24	अनिर्णीत
57	पैरा—24.1	अनिर्णीत
58	पैरा—24.2	अनिर्णीत
59	पैरा—24.2.1	अनिर्णीत
60	पैरा—24.3	अनिर्णीत
61	पैरा—24.4	अनिर्णीत
62	पैरा—24.4.1	अनिर्णीत
63	पैरा—24.4.2	अनिर्णीत
64	पैरा—24.4.2.1	अनिर्णीत
65	पैरा—24.2.2	अनिर्णीत
66	पैरा—24.5	अनिर्णीत
67	पैरा—24.5.1	अनिर्णीत
68	पैरा—24.6	अनिर्णीत
69	पैरा—26	अनिर्णीत
70	पैरा—26.1	अनिर्णीत
71	पैरा—26.2	अनिर्णीत
72	पैरा—26.4	अनिर्णीत
73	पैरा—26.5	अनिर्णीत
74	पैरा—26.6	अनिर्णीत
75	पैरा—26.7	अनिर्णीत
76	पैरा—26.8	अनिर्णीत
77	पैरा—27	अनिर्णीत
78	पैरा—29	अनिर्णीत

79	पैरा–30	अनिर्णीत
80	पैरा–31	अनिर्णीत
81	पैरा–32	अनिर्णीत
82	पैरा–32.1	अनिर्णीत
83	पैरा–32.2	अनिर्णीत
84	पैरा–32.3	अनिर्णीत
85	पैरा–33	अनिर्णीत
86	पैरा–34	अनिर्णीत
87	पैरा–35	अनिर्णीत
88	पैरा–36	अनिर्णीत
89	पैरा–38	अनिर्णीत
90	पैरा–40	अनिर्णीत
91	पैरा–41	अनिर्णीत
92	पैरा–42	अनिर्णीत
93	पैरा–43	अनिर्णीत
94	पैरा–43.1	अनिर्णीत
95	पैरा–44	अनिर्णीत
96	पैरा–44.3	अनिर्णीत

(20) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा–4 (2) (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2) (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (2) (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–21	अनिर्णीत

6	पैरा—24	अनिर्णीत
7	पैरा—25	अनिर्णीत
8	पैरा—26	अनिर्णीत
9	पैरा—27	अनिर्णीत
10	पैरा—28	अनिर्णीत
11	पैरा—29 (1) (3)	अनिर्णीत
12	पैरा—30	अनिर्णीत
13	पैरा—31	अनिर्णीत
14	पैरा—32	अनिर्णीत
15	पैरा—33	अनिर्णीत
16	पैरा—34	अनिर्णीत
17	पैरा—35	अनिर्णीत
18	पैरा—36	अनिर्णीत
19	पैरा—37	अनिर्णीत
20	पैरा—39 (ङ)	अनिर्णीत
21	पैरा—40	अनिर्णीत
22	पैरा—42	अनिर्णीत
23	पैरा—44	अनिर्णीत
24	पैरा—45	अनिर्णीत
25	पैरा—47 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा—47 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा—47 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा—47 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा—48 (क)	अनिर्णीत

30	पैरा–48 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा–49	अनिर्णीत
32	पैरा–50	अनिर्णीत
33	पैरा–51	अनिर्णीत
34	पैरा–52 (क) (i) (ii) व (iii)	अनिर्णीत
35	पैरा–52 (क) (iv) (क) से (य)	अनिर्णीत
36	पैरा–53	अनिर्णीत
37	पैरा–54	अनिर्णीत
38	पैरा–55	अनिर्णीत
39	पैरा–56 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–56 (2)	अनिर्णीत
41	पैरा–57	अनिर्णीत
42	पैरा–58 (i)	अनिर्णीत
43	पैरा–58 (ii)	अनिर्णीत
44	पैरा–58 (iii)	अनिर्णीत
45	पैरा–58 (iv) (v)	अनिर्णीत
46	पैरा–59 (i)	अनिर्णीत
47	पैरा–59 (ii)	अनिर्णीत
48	पैरा–59 (iii)	अनिर्णीत
49	पैरा–59 (iv)	अनिर्णीत
50	पैरा–60 (i)	अनिर्णीत
51	पैरा–60 (ii)	अनिर्णीत
52	पैरा–60 (iii)	अनिर्णीत
53	पैरा–61 (i)	अनिर्णीत

54	पैरा–61 (ii)	अनिर्णीत
55	पैरा–61 (iii)	अनिर्णीत
56	पैरा–61 (iv)	अनिर्णीत
57	पैरा–61 (v)	अनिर्णीत
58	पैरा–62 (i)	अनिर्णीत
59	पैरा–62 (ii)	अनिर्णीत
60	पैरा–62 (iii)	अनिर्णीत
61	पैरा–63	अनिर्णीत
62	पैरा–64	अनिर्णीत

(21) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–17	अनिर्णीत
6	पैरा–19	अनिर्णीत
7	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–22	अनिर्णीत
10	पैरा–23	अनिर्णीत
11	पैरा–24	अनिर्णीत
12	पैरा–25	अनिर्णीत
13	पैरा–26	अनिर्णीत
14	पैरा–28	अनिर्णीत

15	पैरा—29 (i)	अनिर्णीत
16	पैरा—29 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा—29 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा—29 (iv)	अनिर्णीत
19	पैरा—33	अनिर्णीत
20	पैरा—35 (2)	अनिर्णीत
21	पैरा—36	अनिर्णीत
22	पैरा—37	अनिर्णीत
23	पैरा—39	अनिर्णीत
24	पैरा—40	अनिर्णीत
25	पैरा—41	अनिर्णीत
26	पैरा—42	अनिर्णीत
27	पैरा—43	अनिर्णीत
28	पैरा—44 (2)	अनिर्णीत
29	पैरा—45	अनिर्णीत
30	पैरा—47	अनिर्णीत
31	पैरा—48	अनिर्णीत
32	पैरा—49	अनिर्णीत
33	पैरा—50	अनिर्णीत
34	पैरा—51	अनिर्णीत
35	पैरा—52	अनिर्णीत
36	पैरा—53	अनिर्णीत
37	पैरा—54	अनिर्णीत
38	पैरा—55	अनिर्णीत

39	पैरा–56	अनिर्णीत
40	पैरा–58	अनिर्णीत
41	पैरा–59	अनिर्णीत
42	पैरा–60	अनिर्णीत
43	पैरा–61	अनिर्णीत
44	पैरा–62	अनिर्णीत
45	पैरा–63	अनिर्णीत
46	पैरा–64	अनिर्णीत
47	पैरा–65	अनिर्णीत
48	पैरा–66	अनिर्णीत

(22) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–21	अनिर्णीत
4	पैरा–22	अनिर्णीत
5	पैरा–23 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–23 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा–23 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा–23 (7)	अनिर्णीत
9	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–24 (2)	अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत
11	पैरा–24 (3)	अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत
12	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–25 (2)	अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत

14	पैरा–26	अनिर्णीत
15	पैरा–29	अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत
16	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–30 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–30 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–30 (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–31 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा–31 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–32	अनिर्णीत
23	पैरा–33	अनिर्णीत
24	पैरा–34	अनिर्णीत
25	पैरा–35	अनिर्णीत
26	पैरा–37	अनिर्णीत
27	पैरा–38	अनिर्णीत
28	पैरा–39	अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत
29	पैरा–41	अनिर्णीत
30	पैरा–44	अनिर्णीत

(23) अंकेक्षण अवधि 4/2016 से 3/2018

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत

7	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–13	आगामी वर्षों में अपेक्षित प्राप्ति की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत
9	पैरा–14	G-8 संख्या 294/59 दिनांक 02.11.2022 द्वारा `3561 की वसूली के उपरान्त निर्णीत
10	पैरा–15 (ग)	G-8 संख्या 294/61 दिनांक 05.11.2022 द्वारा `65593 की वसूली के उपरान्त निर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–18	अनिर्णीत
14	पैरा–19	अनिर्णीत
15	पैरा–20 (क तथा ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–21 (i, ii,iii,iv)	अनिर्णीत
17	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–25	अनिर्णीत
19	पैरा–26	अनिर्णीत
20	पैरा–27	अनिर्णीत
21	पैरा–28	अनिर्णीत
22	पैरा–29	अनिर्णीत
23	पैरा–30	अनिर्णीत
24	पैरा–31	अनिर्णीत
25	पैरा–32	अनिर्णीत
26	पैरा–33	अनिर्णीत

(24) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2020

1.	पैरा 3	अंकेक्षण शुल्क के भुगतान के दृष्टिगत निर्णित।

2.	पैरा 4.1		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
3.	पैरा 4.1 (क)	(i)(ii) (iii) (iv)(v)(vi)	निर्णित एवं पैरे पुन: प्रारूपित किये गये।
4.	पैरा 4.2		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
5.	पैरा 4.3		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
6.	पैरा 4.4		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
7.	पैरा 5 (क)		निर्णित (सावधि निवेश की 31.03.20 को शेष बारे)
8.	पैरा 5 (ख)		अनिर्णीत।
9.	पैरा 5 (ग)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
10.	पैरा 5 (घ)		अनिर्णीत।
11.	पैरा 5 (ङ)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
12.	पैरा 6 (क)		अनिर्णीत।
13.	पैरा 6 (ख)		अनिर्णीत।
14.	पैरा 6 (ग)		अपेक्षित कारवाई की पुष्टि के उपरांत निर्णित
15.	पैरा 6 (घ)		अनिर्णीत।
16.	पैरा 6 (ङ)		अनिर्णीत।
17.	पैरा 6 (च)		G-8 संख्या 294/57 दिनांक 02.11.2022 द्वारा रू 1051 की वसूली के उपरांत निर्णित।
18.	पैरा 7		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
19.	पैरा 8 (क)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
20.	पैरा 8 (ख)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
21.	पैरा 8 (ग)		अनिर्णीत।
22.	पैरा 8 (घ)		अनिर्णीत।
23.	पैरा 8 (ङ)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
24.	पैरा 9		अनिर्णीत।
25.	पैरा 10 (क)	(i)(ii)(iv)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
26.	पैरा 10 (क)	(iii)	अनिर्णीत।
27.	पैरा 10 (ख)	(i)(ii) (iii)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।

28.	पैरा 10 (ग)	(i)(ii)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
29.	पैरा 10 (घ)	(i)-(1) व् (2) तथा (ii)	अनिर्णीत।
30.	पैरा 10 (ङ)	(i)(ii) (iii)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
31.	पैरा 11		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
32.	पैरा 12	(i)(vi)(vii)	अनिर्णीत।
33.	पैरा 12	(ii) (iii) (iv)(v)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
34.	पैरा 13 (क)	(i)(ii) (iii)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
35.	पैरा 13 (ख)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
36.	पैरा 13 (ग)		G-8 संख्या 294/9 दिनांक 18.10.2022 द्वारा रू 410 की वसूली के उपरांत निर्णित।
37.	पैरा 13 (घ)		अनिर्णीत।
38.	पैरा 13 (ङ)		अनिर्णीत।
39.	पैरा 14		सेवा पंजी के पृष्ठ संख्या 93 पर आवश्यक सुधार प्रविष्टी के उपरांत निर्णित।
40.	पैरा 15 (क)		अनिर्णीत।
41.	पैरा 15 (ख)		अनिर्णीत।
42.	पैरा 15 (ग)	(i)(ii)	अनिर्णीत।
43.	पैरा 16	(i)	भविष्य में इस संबंध में विशेष ध्यान रखे जाने के आश्वासन के द्दष्टिगत निर्णित।
44.	पैरा 16	(ii) (iii) (iv)(v)	अनिर्णीत।
45.	पैरा 17		अनिर्णीत।
46.	पैरा 18		अनिर्णीत।
47.	पैरा 19		अनिर्णीत।
48.	पैरा 20 (क)		G-8 संख्या 294/10 दिनांक 18.10.2022 द्वारा रू 1200 की वसूली के उपरांत निर्णित।
49.	पैरा 20 (ख)		अनिर्णीत।
50.	पैरा 21	(i),(ii)	अनिर्णीत।
51.	पैरा 21	(iii)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
52.	पैरा 22	(i),(ii),	अनिर्णीत।
53.	पैरा 23 (क)		अनिर्णीत।

54.	पैरा 23 (ख)		अनिर्णीत|
55.	पैरा 23 (ग)		अनिर्णीत|
56.	पैरा 23 (घ)		अनिर्णीत|
57.	पैरा 24 (क)	(i),(ii)	G-8 संख्या 294/11 दिनांक 18.10.2022 द्वारा रू 1323 की वसूली के उपरांत तथा भविष्य में इस संबंध में विशेष ध्यान रखे जाने के आश्वासन के दृष्टिगत निर्णित |
58.	पैरा 24 (ख)	(i),(ii)	अनिर्णीत|
59.	पैरा 25		अनिर्णीत|
60.	पैरा 26		अनिर्णीत|
61.	पैरा 27		अनिर्णीत|
62.	पैरा 28		अनिर्णीत|
63.	पैरा 29		अनिर्णीत|
64.	पैरा 30		अनिर्णीत|
65.	पैरा 31		अनिर्णीत|
66.	पैरा 32		अनिर्णीत|
67.	पैरा 33		अनिर्णीत|
68.	पैरा 34		अनिर्णीत|
69.	पैरा 35		अनिर्णीत|
70.	पैरा 36	(i) (ii) (iii)(iv)(v)-(क) (ख)	अनिर्णीत|
71.	पैरा 36	(vi)	निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया |
72.	पैरा 37	(क), (ख)	अनिर्णीत|
73.	पैरा 38		अनिर्णीत|
74.	पैरा 39		अनिर्णीत|
75.	पैरा 40	(i) (ii) (iii)(iv) (v)(vi)(vii) व् (viii)	अनिर्णीत|
76.	पैरा 41	(i) (ii) (iii)(iv)	अनिर्णीत|
77.	पैरा 42 (क)	(i) (ii)	अनिर्णीत|
78.	पैरा 42 (ख)	(i) (ii)	अनिर्णीत|

79.	पैरा 42 (ग)		अनिर्णीत|
80.	पैरा 42 (घ)	(i) (ii)	अनिर्णीत|
81.	पैरा 43 (क)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
82.	पैरा 43 (ख)		अनिर्णीत|
83.	पैरा 43 (ग)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।
84.	पैरा 43 (घ)		अनिर्णीत|
85.	पैरा 43 (ङ)		अनिर्णीत|
86.	पैरा 43 (च)		निर्णित एवं पैरा पुन: प्रारूपित किया गया।

अनिर्णीत पैरों का सार

अंकेक्षण अवधि 3/20 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	686
4/20 से 3/22 के दौरान लगाए गए पैरे /उप पैरे	30
कुल	716
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	41
शेष अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	675